गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

सत्यमेव जयते

संकल्प से सिद्धि के 8 वर्ष

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सफलता पूर्वक अपने **8 वर्ष** पूर्ण किए हैं। मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। **गृह मंत्रालय** द्वारा **नरेंद्र मोदी जी** के मार्गदर्शन में **8 वर्षों** में किए गए कार्यों को दर्शाती यह रिपोर्ट...

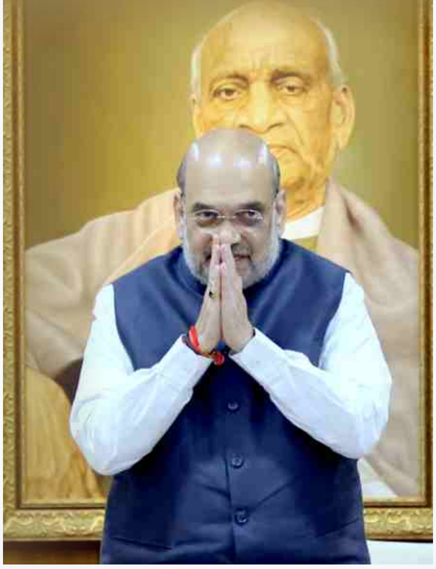

विषय सूची

जम्मू और कश्मीर – विकास और शांति की नई सुबह ..... 05 to 12

लद्दाख के बढ़ते कदम – पूरी हुई लद्दाख की दशकों पुरानी लालसा ..... 13 to 15

प्रगति पथ पर पूर्वोत्तर – शांति, स्थिरता और विकास का पूर्वोदय ..... 16 to 21

वामपंथी उग्रवाद से निर्णायक लड़ाई – शांति, सुरक्षा और समृद्धि की खुलती राहें ..... 22 to 27

नशामुक्त भारत – अब नहीं चलेगा नशे का कारोबार ..... 28 to 33

आतंकवाद से लड़ाई – जीरो टॉलरेंस की नीति ने आतंकवाद के हौसले को पस्त किया ..... 34 to 36

संघीय ढांचे को सुदृढ़ता – संवाद से समाधान की नीति से बेहतर हुए अंतरराज्यीय संबंध ..... 37 to 40

साइबर अपराधों पर सख्त सरकार – रियल टाइम रिपोर्टिंग, उन्नत तकनीक और जागरूकता से साइबर अपराधों पर शिकंजा .... 41 to 43

फॉरेंसिक साइंस – न्यायालयिक विज्ञान शब्द में ही न्याय निहित है .... 44 to 45

सीमा सुरक्षा – चौकस सुरक्षा प्रणाली से अभेद्य हुई भारत की सीमाएं .... 46 to 49

तटीय सुरक्षा – पानी के मार्ग पर मुस्तैद निगरानी .... 50 to 52

आपदा प्रबंधन – सजगता, सतर्कता, राहत, बचाव, पुनर्वास का समग्र दृष्टिकोण .... 53 to 57

यूनियन टेरिटरी – केंद्र की प्राथमिकताओं में यूनियन टेरिटरी का विकास .... 58 to 59

द्वीप क्षेत्र – पर्यटन सुविधा को प्राथमिकता से खुल रहे प्रगति के द्वार .... 60 to 61

नागरिकता – दशकों से लंबित मुद्दे को निपटाकर धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों के साथ न्याय 62

राजभाषा – सरकारी कामकाज में हिंदी को विशेष महत्व .... 63 to 64

वीज़ा प्रक्रिया – तकनीक युक्त सत्यापन, प्रक्रिया हुई सरल, आसान हुआ विदेश जाना .... 65 to 66

एफ.सी.आर.ए – बेहतर अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही .... 67 to 68

वृक्षारोपण अभियान – पर्यावरण संरक्षण का अचूक अभियान .... 69 to 70

पुलिस प्रशिक्षण एवं सम्मान – शिक्षण, शोध, संबल, सहयोग और सुरक्षा से पुलिस प्रणाली में बेहतरी के प्रयास .... 71 to 75

दिल्ली पुलिस – राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के अग्रदूत .... 76 to 80

गृह मंत्रालय – प्रशासनिक सुधारों से सुगमता की ओर .... 81 to 40

जम्मू और कश्मीर

विकास और शांति की नई सुबह

संकल्प से सिद्धि के 8 वर्ष

संविधान संशोधनः

अनुच्छेद-370 और 35A का निरस्तीकरण

संशोधन से निर्मूल हुई समस्या :

एक नागरिकता, एक निशान, एक विधान, समान न्याय और समान अधिकार का सपना हुआ साकार

संवैधानिक परिवर्तन

- 5 अगस्त 2019 से **जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को समान संघीय अधिकार**
- **एक राष्ट्रीय ध्वज**
- **एक नागरिकता**
- **एक समान केन्द्रीय कानून लागू हुए**
- **कश्मीरी, डोगरी, हिंदी,उर्दू और अंग्रेजी** राजभाषाएं बनीं
- **केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण** की स्थापना
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का **एजीएमयूटी कैडर** के साथ **एकीकरण**

असरकारक परिणाम

सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की रणनीति

- कानूनों का सख्त कार्यान्वयन
- सुरक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण
- आतंकवाद पर करारा प्रहार एवं काउंटर इंसरजेंसी ग्रिड में वृद्धि
- काउंटर रेडिकलाइजेशन पर नियंत्रण करके युवाशक्ति को मुख्यधारा में लाने के प्रयास
- आतंकवादियों के महिमामंडन पर कड़ा प्रतिबन्ध
- अभेद्य कारागारों की शुरुआत
- जम्मू-कश्मीर पुलिस की प्रमुख भूमिका

अनुच्छेद-370: निरस्तीकरण का असर

आतंकी घटनाओं में कमी, आतंकवाद का हौसला हुआ पस्त

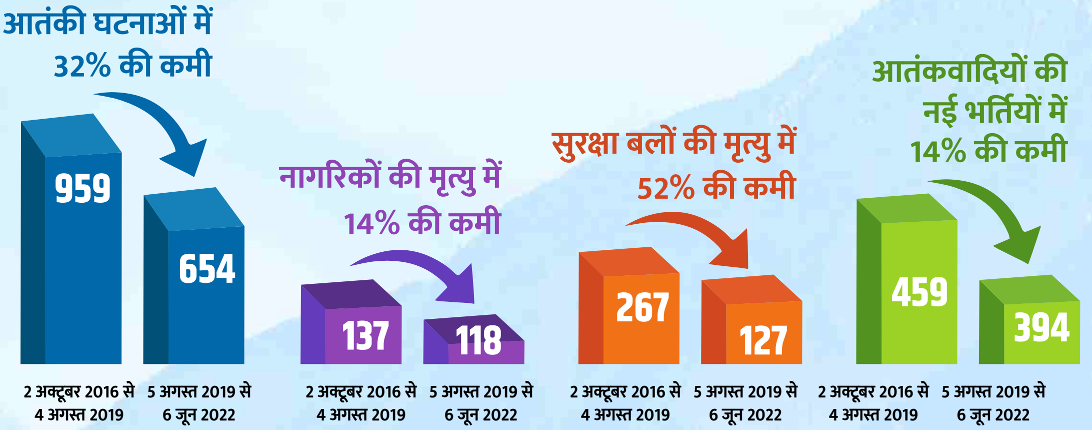

आंकड़ों से स्पष्ट है कि अनुच्छेद-370 समाप्त होने से सुरक्षा व्यवस्था चौकस हुई है। आतंकी घटनाएँ कम हुई हैं। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु भी घटी है तथा आतंकवादियों का भर्ती तंत्र भी कमजोर हुआ है।

सुरक्षा स्थिति में सुधार

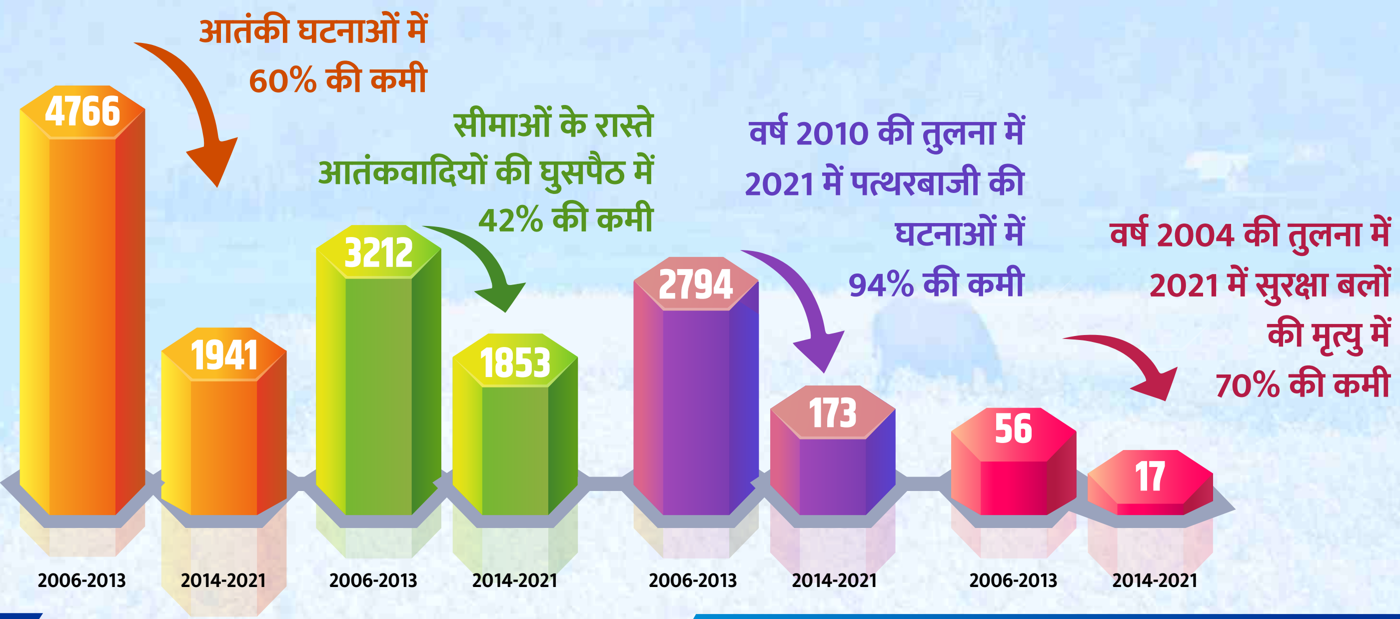

पर्यटन का विकास

जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों को जोड़ने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं : -

- जम्मू और कश्मीर पर्यटन नीति-2020 अधिसूचित।
- 2022 के शुरूआती छः महीने में लगभग 80 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर आये।
- एक महीने में रिकॉर्ड पर्यटक- मई 2022 में लगभग 22 लाख पर्यटक आये।
- अक्टूबर 2021 से श्रीनगर से शारजाह अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट आरम्भ।
- जम्मू और श्रीनगर से रात्रिकालीन हवाई यात्रा सेवाएं शुरू।
- पर्यटन विभाग द्वारा 75 ऑफ बीट गंतव्यों की पहचान की गयी।
- कोविड प्रभावित पर्यटन उद्योग के लिए 17.44 करोड़ रूपये की सहायता।
- हजरतबल श्राइन के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत 42 करोड़ रूपये का आवंटन।

पंचायतों तक प्रजातंत्र की पहुंच

जम्मू-कश्मीर में पंचायती स्तर के चुनावों के राह की बाधाएं हटीं और जमीनी स्तर पर प्रजातंत्र को मजबूती मिली

- **जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके जिला विकास परिषदों का सृजन संभव हुआ।**
- **2018 में बिना किसी हिंसा के 9 चरणों में हुए पंचायती चुनावों में 74.1% मतदाताओं ने मतदान करके लोकतंत्र में भागीदारी की।**
- **जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार 2019 में हुए ब्लाक विकास परिषद के चुनाव में बिना किसी हिंसा के रिकॉर्ड 98.3% मतदान हुआ।**
- **निर्वाचित 1876 PRI सदस्यों का प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट संपन्न।**
- **स्थानीय निकायों के जरिये 1,455 करोड़ रुपये का विकास कार्य हुआ।**
- **निकायों ने 3,160 कार्य पूरे किये और 3,200 कार्य प्रगति पर हैं।**

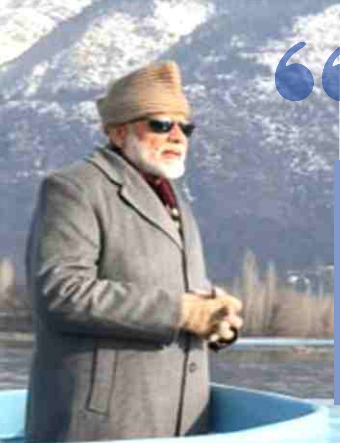

> जम्मू-कश्मीर का विकास हमारी प्राथमिकता...
> न गाली से न गोली से, परिवर्तन होगा हर कश्मीरी को गले लगाने से।
>
> **- श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)

- **सरपंच, पंच, बीडीसी, अध्यक्ष की आतंकी घटनाओं में मृत्यु होने पर उनके परिवार को 25 लाख की आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया।**

प्रगति के लिए पैकेज से परियोजनाओं को रफ़्तार

प्रधानमंत्री विकास पैकेज:

- जम्मू-कश्मीर में विकास की गति में तेजी लाने के लिए 80 हजार करोड़ के प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 63 परियोजनाएं मंजूर हुईं।
- इनमें 58,477 करोड़ की 53 परियोजनाओं के काम प्रगति पर हैं।
- इनमें से 29 परियोजनाओं का कार्य पूरा होने की कागार पर है।

मूलभूत ढाँचे को मजबूती:

बिजली उत्पादन:

- अगले 5 वर्षों में 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य का कार्य प्रगति पर।
- **किरु HEP परियोजना:** 4,287 करोड़ की लागत से 624 मेगा वाट किरु HEP परियोजना का कार्य प्रगति पर।
- **कार HEP परियोजना:** 4,633 करोड़ की लागत से 540 मेगा वाट की कार HEP परियोजना का काम जल्द आरम्भ होगा।
- **शाहपुर कुण्डी सिंचाई और बिजली परियोजना:** 2,793 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का कार्य काम शीघ्र शुरू होगा।
- **उच्च MPP सिचाई की बिजली परियोजना:** 11,908 करोड़ की इस परियोजना का काम शीघ्र शुरू होगा।

सिंचाई होगी सुलभ:

- 62 करोड़ रूपये की मुख्य रावी नहर।
- 45 करोड़ रूपये की त्राल लिफ्ट सिंचाई योजना का तीसरा चरण।
- 399 करोड़ झेलम और सहायक नदियों में बाढ़ प्रबंधन योजना के तीसरे चरण का काम समाप्त।

रेल नेटवर्क का विस्तार: उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक का काम प्रगति पर।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना:

- 3,167 किमी सड़क के निर्माण द्वारा 119 नई बस्तियों को जोड़ा गया।
- 1,000 से अधिक आबादी की सभी बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया।

औद्योगिक विकास से प्रगति को गति :

- केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों को 28,400 करोड़ रूपये की सहायता।
- केंद्र सरकार द्वारा नीतिगत स्पष्टता के लिए जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक नीति, जम्मू एवं कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति और जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति की घोषणा।
- निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए लैंड बैंक के साथ 13 क्षेत्रीय नीतियाँ।
- इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना के लिए 6 हजार एकड़ भूमि का प्रावधान। इसमें 3 हजार एकड़ भूमि की पहचान की जा चुकी है।
- उद्यमियों को कोविड के दौरान 1350 करोड़ रूपये का आर्थिक पैकेज।

वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा :

- केसर और बासमती की जीआई टैगिंग।
- गुछी (मोर्चला), सोलाई हनी, राजमा लाल, बीन्स के लिए ज्योग्राफिकल इंडीकेशंस (GI) हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर।
- आम, लीची, चेरी, अखरोट आदि को शामिल करने के लिए सेब के लिए अनुकूल वृक्षारोपण के दायरे का विस्तार।
- जिनोम सिक्वेंस अनुसंधान से विश्व प्रसिद्ध पशमीना उत्पादन करने वाली बकरी की नस्ल की बेहतरी के ठोस प्रयास।
- राष्ट्रीय सैफरन मिशन के तहत फसल की पैदावार में 0.88 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 1.45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक की वृद्धि सुनिश्चित हुई।
- एक जिला, एक उत्पाद (ODOP) सूची को अधिसूचित किया गया।

शिक्षा से रोजगार तक युवाओं की उम्मीदों को लगे पंख

संकल्प से सिद्धि के 8 वर्ष

शैक्षिक संस्थानों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि

	1947-2014	2014-21
मेडिकल कॉलेज	4 मेडिकल कॉलेज	9 मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज
मेडिकल सीटें	500 MBBS सीटें	1100 MBBS सीटे, 50 PG सीटें, 42 डेंटल PG सीटें, 600 पैरामेडिकल सीटें, 350 नर्सिंग सीटें
डिग्री/इंजीनियरिंग कॉलेज	96 कॉलेज	147 कॉलेज

रोजगार के नए अवसर

- 4.50 लाख रोजगार सृजित करने के विजन के साथ नई औद्योगिक विकास योजना लागू।
- त्वरित भर्ती समिति का गठन कर सरकार ने पारदर्शी भर्ती अभियान शुरू किया।
- 26330 पदों को चिन्हित कर अराजपत्रित एवं चतुर्थ श्रेणी की पद भर्तियाँ शुरू।
- 11,324 राजपत्रित अधिकारियों की चयन प्रक्रिया समाप्त ।
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्व-रोजगार योजनाओं के अंतर्गत 1,37,870 व्यक्तियों को लाभ।
- 4500 यूथ क्लब स्थापित किये गए।
- ग्रामीण आजीविका मिशन में 4,80,000 महिलाएं 56,000 स्वंय सहायता समूहों में शामिल।
- मिशन यूथ के तहत युवाओं को जीरो मार्जिन मनी पर स्थाई रोजगार प्रदान करने के लिए छोटे कमर्शियल व्हीकल मिल रहे हैं।
- तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत उद्यमी महिलाओं को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता की सुविधा का प्रावधान।
- परवाज़ कार्यक्रम के द्वारा युवा लड़कों एवं लड़कियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जाने माने संस्थानों द्वारा कोचिंग उपलब्ध कराने की पहल।
- हौसला कार्यक्रम के द्वारा महिला उद्यमियों का प्रशिक्षण और वैश्विक मार्किट से जोड़ने के प्रयास।
- कश्मीर घाटी में 30 साल बाद सिनेमा थियेटर खुलने से रोजगार के नये अवसर सृजित हुए।

वंचितों को मिले अधिकार

अनुच्छेद-370 की बाधा समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को वह सभी अधिक मिले जो भारत के अन्य राज्यों में मिलते हैं।

सुनिश्चित हुआ सामाजिक न्याय

- पहाड़ी समुदाय को आरक्षण नियमों में संशोधन से 4% आरक्षण मिला।
- सीधी भर्ती और प्रवेश में आरक्षण का लाभ जो पहले सिर्फ एलओसी के पास के ग्रामीणों को मिलता था उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी के पास के गांवों के निवासियों को भी दिया गया।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण की राह खुली।
- डोमिसाइल कानूनों में बदलाव होने से सफाई कर्मचारियों को प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों और अन्य लाभ पाने की पात्रता मिली।

अनुसूचित जनजातियों के हित में निर्णय

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) क़ानून, 2006 लागू हुआ।
- लघु वन उत्पाद हेतु एमएसपी के लिए प्रधानमंत्री वन धन योजना का ट्राइफेड के सहयोग से कार्यान्वयन।
- गुर्जर और बकरवाल छात्रों को प्री-मेट्रिक और पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति का 100% कवरेज।
- ST छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 100% लाभांश वितरण का लक्ष्य शीघ्र पूर्ण होगा।
- जनजातीय छात्रों के लिए 2021-22 में अब तक का सर्वाधिक 31.12 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति खर्च।
- सितंबर 2021 में जनजाति युवाओं को आजीविका हेतु 800 मिनी भेड़/बकरी फार्म आवंटित।
- जनजातीय स्वास्थ्य योजना के तहत जनजातीय उप-केंद्रों और मोबाइल स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने का कार्य प्रगति पर।
- मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य योजना आरम्भ।
- वित्त वर्ष 2021-22 में जनजातीय क्षेत्रों के लिए 200 स्मार्ट स्कूल स्वीकृत, 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उपक्रम।
- 29 क्लस्टर मॉडल गाँव स्थापित करने का कार्य प्रगति पर।

होने लगा केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन

संकल्प से सिद्धि के 8 वर्ष

फ्लैगशिप कार्यक्रम

स्वच्छ भारत मिशन
खुले में शौच से मुक्त हुआ जम्मू-कश्मीर।

प्रधानमंत्री आवास योजना
इस योजना के तहत 83,186 घर।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
इस योजना के तहत 16,850 घरों का निर्माण।

जल जीवन मिशन (जेजेएम)
सभी जिले लक्ष्य प्राप्ति की ओर। सभी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति।

स्मार्ट सिटी मिशन
276 परियोजनाओं को मंजूरी तथा 105 परियोजनाओं का काम पूरा।

पोषण अभियान
आईसीडीएस के तहत 8.97 लाख लाभार्थी जुड़े।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
49,870 लाभार्थी जुड़े।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
टीकाकरण कवरेज 96.5 %, इंस्टीट्यूशनल डिलीवर 1.62 लाख।

पीएमजेएवाई
20.54 लाख लाभार्थी परिवार और 252 अस्पताल पैनलबद्ध।

व्यक्तिगत लाभग्राही उन्मुख योजनाओं में 17 प्रतिशत की लक्ष्य प्राप्तिः

ग्राम स्वराज
की 4 योजनाओं (सौभाग्य, इन्द्रधनुष, उज्वला और उजाला) में पूर्ण रूप से लक्ष्य प्राप्त।

सामाजिक सुरक्षा
की 3 योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त ।

5 छात्रवृत्ति योजनाओं
के पूर्ण लक्ष्य प्राप्त जिसके तहत 5.55 लाख विद्यार्थियो को लाभ।

किसानः
केसीसी के तहत 12.79 लाख किसानों को लाभ और पीएम किसान के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान 11.87 लाख पात्र किसानों के खाते में 1975 करोड़ रूपये सीधे जमा।

पीएम मुद्रा योजना
का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त ।

अन्य सुधार

दूसरे प्रदेशों से आवागमन हुआ सुगम

लखनपुर टोल टैक्स बूथ रद्द होने से दूसरे प्रदेशों से आने जाने के लिए अब किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और सभी चौकियों में टोल टैक्स समाप्त होने से अंतर्राज्यीय व्यापार में सुगमता।

दो दरबारों की परंपरा समाप्त

इस सुधार से प्रदेश के 200 करोड़ रुपये तो बचेंगे ही साथ ही इससे सुरक्षा बलों पर दबाव भी कम हुआ, एक कामकाजी महीने की बचत हुई, जम्मू और श्रीनगर के सचिवालय साल भर जनता के लिए खुले और सरकारी काम बिना किसी बाधा के सतत जारी रहेंगे।

प्रवासियों और शरणार्थियों का पुनर्वास

- **3000 अतिरिक्त कश्मीरी प्रवासियों** को **सरकारी नौकरी।**
- **पीएमडीपी-2015** के तहत **1,739 प्रवासियों** की नियुक्ति और **अतिरिक्त 1,098 प्रवासियों का चयन।**
- प्रवासियों के लिए **ट्रांजिट आवास के निर्माण को 2022 तक पूरा** करने का कार्य प्रगति में।
- पीओजेके, छंब और नियाबत से आकर बसे **36,384 विस्थापित परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये** की एकमुश्त वित्तीय सहायता।
- ऐसे **5,300 परिवार** जो पहले **जम्मू कश्मीर से बाहर जा बसे थे** और बाद में वापस आये को भी इसी तरह की वित्तीय सहायता की मंजूरी।
- भारत सरकार द्वारा **पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों (DWPR)** के **5,764 परिवारों के लिए प्रति परिवार को 5.50 लाख रूपये** की वित्तीय सहायता।

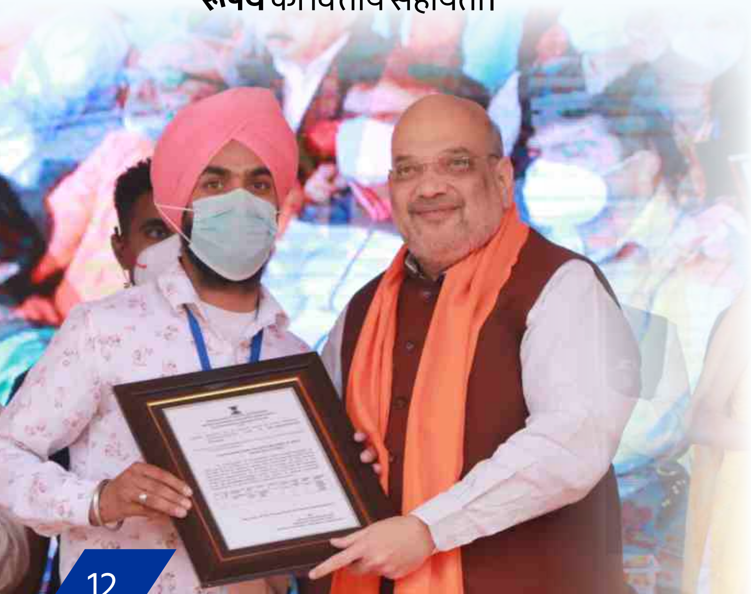

लद्दाख के बढ़ते कदम

पूरी हुई लद्दाख की दशकों पुरानी लालसा

संवैधानिक संशोधन

सामाजिक तानाबाना भिन्न होने और राज्य सरकारों के तथाकथित भेदभाव के कारण लद्दाख क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट गया था, परन्तु **2019 में अनुच्छेद-370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला।**

केंद्र सरकार का सहयोग

केंद्र के विशेष सहयोग से अब लद्दाख स्वतंत्रता पूर्वक अपने विकास का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर रहा है।

प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी)

प्रधानमंत्री ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के समग्र विकास के लिए "प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 (पीएमडीपी-2015)", जिसमें 63 परियोजनाएँ शामिल हैं, की घोषणा की, जिसकी कुल लागत 80,068 करोड़ रुपये है। 63 परियोजनाओं में से 21432 करोड़ रूपये की 8 परियोजनाएँ विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए हैं। इन 8 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और शेष 5 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

बजट आवंटन बढ़ा

लद्दाख के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करके 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में प्रति वर्ष 5958.00 करोड़ रूपये किया गया है।

> "संविधान के अनुच्छेद 370 का समाप्त होना लद्दाख क्षेत्र के लिए नया सवेरा...मोदी सरकार लद्दाख के लोगों को देश के शेष हिस्सों के साथ लाने के लिए वचनबद्ध..."
>
> - **श्री अमित शाह** (माननीय गृहमंत्री)

परियोजनाओं / योजनाओं का विकास

सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिडको) की स्थापना: 25 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी के साथ यह निगम बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा।

केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी।

लद्दाख विश्वविद्यालय, नए डिग्री कॉलेज, लेह में नए हवाई अड्डा टर्मिनल और कारगिल में जिला अस्पताल पर काम शुरू।

सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) लैब और स्मार्ट क्लासरूम:
91 स्कूलों को लाभ मिला।

बहुउद्देश्यीय इनडोर स्टेडियम और आइस हॉकी रिंग का निर्माण और ओपन स्टेडियम लेह में सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ को क्रियाशील बनाया गया।

550 KW की मिनी हाइड्रो परियोजना
की स्थापना।

Phynag, Leh में 50 MW की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी, इसके अतिरिक्त 7.5 GW की सौर ऊर्जा परियोजना भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) द्वारा शुरू।

विद्युत् ट्रांसमिशन लाइन: 1310 करोड़ रुपये की लागत वाली इंट्रा स्टेट 220 KV ट्रांसमिशन लाइन, कारगिल-पदुम ज़ांस्कर (207 किमी) और प्यांग-डिस्किट-नुब्रा (100 किमी) को मंजूरी।

स्वास्थ्य सुविधाएँ: एसएनएम अस्पताल, लेह और जिला अस्पताल, कारगिल में 10 बिस्तरों वाले बाल चिकित्सा आईसीयू वार्ड, 10 बिस्तरों वाले वयस्क आईसीयू वार्ड और 70 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों सहित 90 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध।

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र (ISWMP): का काम पूरा हो गया है। यह नीति आयोग की 'वेस्ट-वाइज सिटीज (WASTE-WISE CITIES)' में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी नवाचार में सर्वोत्तम प्रथाओं में भी शामिल है।

श्रीनगर-लेह राजमार्ग
पर जोजिला सुरंग का कार्य प्रगति में।

हेलिपैड और हैंगर:
36 हेलीपैड और 2 हैंगर पर काम आरम्भ, जिसमें से 18 हेलीपैड और 01 हैंगर का काम समाप्त।

सड़क निर्माण:
2021-22 के दौरान 300 किमी सड़क का निर्माण और ब्लैक टॉप किया गया।

राष्ट्रीय SOWA-RIGPA संस्थान
की स्थापना से पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रगति में।

लद्दाख ग्रीन हाउस परियोजना:
100 पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस स्थापित किए गए।

कोल्ड स्टोरेज सुविधा:
लेह में 1000 मीट्रिक टन की सुविधा का निर्माण समाप्त।

5 नए टूरिस्ट सर्किट और 5 नए ट्रेकिंग रूट
खुलने से रोजगार के अवसर।

चांगथांग क्षेत्र के विकास
के लिए 129.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

स्नो क्लीयरेंस मशीनरी:
30 करोड़ रूपये की लागत से खरीदी गई, जिससे कारगिल-ज़ांस्कर रोड (NH-301) को सर्दियों के दौरान खुला रखा जा सका।

प्रगति पथ पर पूर्वोत्तर

शांति, स्थिरता और विकास का पूर्वोदय

चुनौती

स्वतंत्रता के बाद दशकों तक उपेक्षा और राजनीति का शिकार रहे उत्तर-पूर्वी राज्यों में विकास की गति थम गई थी। अलगाववाद की हिंसा ने पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्यधारा के विकास से अलग-थलग कर दिया था। ऐसे में ऐसी नीति की जरुरत थी जो उत्तर-पूर्वी राज्यों को मुख्यधारा के विकास से जोड़ने, हिंसा और अलगाववाद से निपटने तथा देश के साथ एकीकरण की भावना को मजबूत करे।

रणनीति

2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के तुरंत बाद श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को लेकर 'एक्ट ईस्ट पालिसी' का स्पष्ट व दूरगामी दृष्टिकोण दिया। यह केंद्र सरकार का पूर्वोत्तर की प्रगति के लिए समग्र नीतिगत दृष्टिकोण था। इस नीति पर आगे बढ़ते हुए गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर की चुनौतियों को चिन्हित कर उससे निपटने के लिए तीन उद्देशीय रणनीति बनाई।

विवादों को निपटारा कर शांति व स्थिरता की स्थापना

पूर्वोत्तर के सांस्कृतिक संवर्धन से विकास

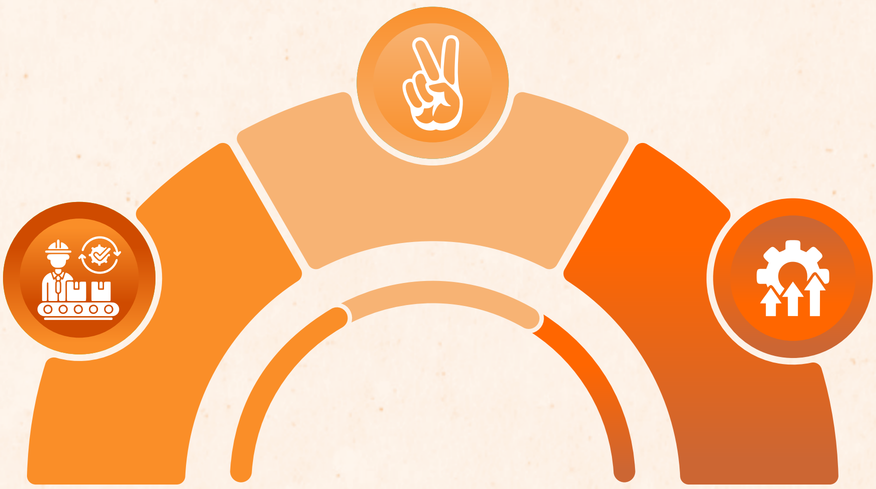

विकास को गति देकर देश के साथ एकीकरण

> हमारे North East की बात ही कुछ और है। पूर्वोत्तर का प्राकृतिक सौन्दर्य अनुपम है और यहाँ के लोग अत्यंत प्रतिभाशाली है। हमारा North East अब तमाम best deeds के लिए भी जाना जाता है।
>
> **- श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)

पूर्वोत्तर की प्रगति-केन्द्रित सही नीति का परिणाम है कि 2014 से उत्तर पूर्व राज्यों में शांति बहाल हुई है। अलगाववादी संगठन भी मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। राज्यों के बीच आपसी सीमा-विवाद निपट रहे हैं। संघर्ष की स्थिति घट रही है। पूर्वोत्तर राज्य अष्टलक्ष्मी की उपाधि को चरितार्थ करने की दिशा में एकबार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं।

सजग नीति से बढ़ा सुरक्षा का भरोसा

पिछले आठ वर्षों में केंद्र सरकार ने विभिन्न सुरक्षा मदों व मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण किए विद्रोहियों के पुनर्वास सहित सुरक्षा संबंधी व्यय हेतु पूर्वोत्तर राज्यों को 2 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसका परिणाम है कि 2014 से अब तक कुल 6 हजार उग्रवादियों ने सरेंडर किया है तथा राज्यों में हिंसक घटनाओं एवं जान-माल की क्षति में भारी कमी आई है।

2014 के बाद हिंसक घटनाओं में आई भारी कमी

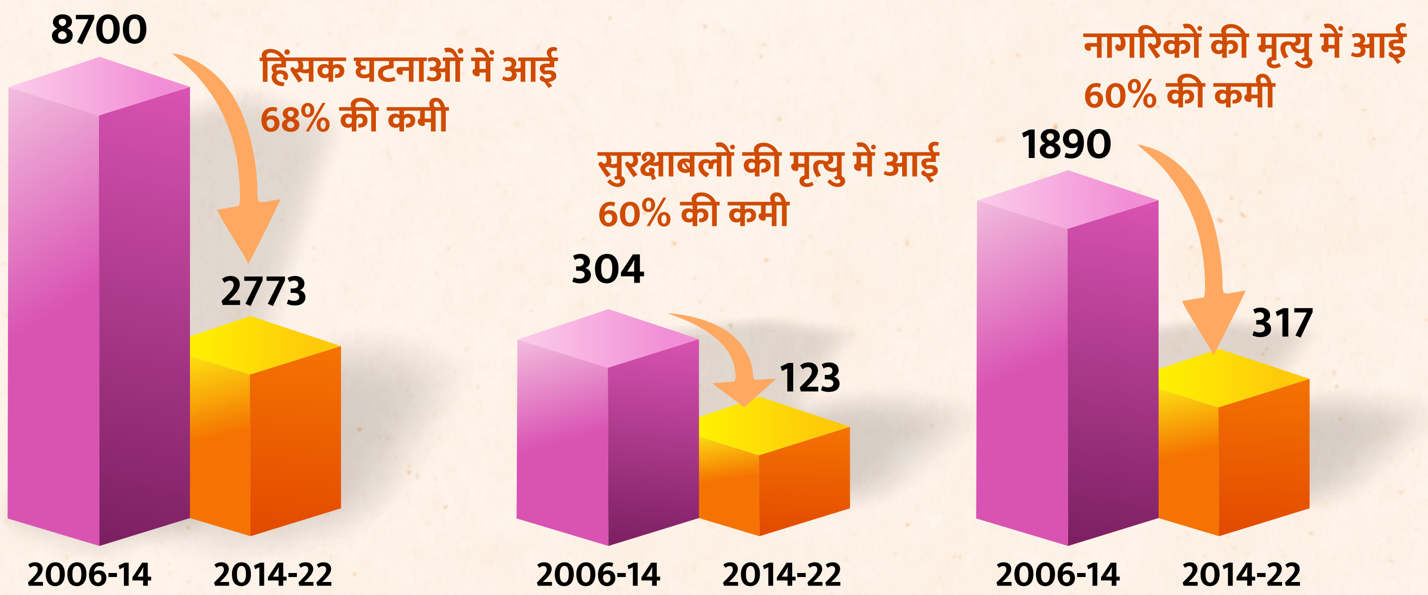

> पूरे उत्तरपूर्व क्षेत्र में मोदी सरकार तीन चीजों को महत्व देकर आगे बढ़ा रही है-
> 1) यहां के नृत्य-संगीत, भाषा व संस्कृति को संजोकर रखना
> 2) उत्तरपूर्व के सभी विवाद समाप्त कर शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाना
> 3) एक विकसित क्षेत्र बनाकर इसे आजादी-पूर्व के GDP में योगदान के स्तर पर वापस लाना।
>
> - **श्री अमित शाह** (माननीय गृहमंत्री)

समझौतों ने खोले समाधान के द्वार

केंद्र सरकार के नीतिगत प्रयासों से कई दशक से बनी हुई अनेक समस्याओं का संवाद और समझौते से स्थाई समाधान कर शांति और स्थिरता स्थापित की गई है।

बोडो समझौता

वर्षों से लंबित बोडो मुद्दे का समाधान करने के लिए भारत सरकार, असम सरकार तथा बोडो समूहों के प्रतिनिधियों के बीच माननीय गृहमंत्री की उपस्थिति में 27 जनवरी 2020 को समझौता हुआ। 1500 करोड़ रुपये के विशेष विकास पैकेज के प्रावधान वाले इस समझौते के बाद एनडीएफबी गुटों के 1615 कार्यकर्ता हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हुए और यह विवाद समाप्त हुआ।

ब्रू-रियांग समझौता (2020)

भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार द्वारा त्रिपुरा में ब्रू (रियांग) प्रवासियों के स्थाई अधिवास के लिए 16 जनवरी 2020 को माननीय गृहमंत्री की उपस्थिति में ब्रू-रियांग प्रतिनिधियों के साथ समझौता सम्पन्न हुआ। 661 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता/पैकेज प्रावधान के साथ इस समझौते के तहत 6959 ब्रू परिवारों (37,136 व्यक्तियों) के त्रिपुरा में पुनर्वास की बाधा समाप्त हुई।

यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट (यूपीएफ) और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मणिपुर

के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता सफलता पूर्वक हुआ।

कार्बी समझौता

4 सितम्बर, 2021 को 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा का रास्ता छोड़कर कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए।

एनएलएफटी/एसडी समझौता (2019)

नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से हुए 100 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक विकास पैकेज के प्रावधान वाले समझौते में 44 हथियारों के साथ 88 कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया।

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) (वार्ता समर्थक) तथा कार्बी लोंगरी एन.सी. हिल्स लिबरेशन फ्रंट

ने भारत सरकार /राज्य सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता किया।

असम-मेघालय अंतरराज्यीय सीमा समझौता

असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सीमा विवाद के कुल बारह क्षेत्रों में से छह क्षेत्रों के विवाद के निपटारे के लिए 29 मार्च, 2022 को हुए एक ऐतिहासिक समझौते के साथ ही इन क्षेत्रों के विवाद पर विराम लगा।

असुरक्षा से आकांक्षा की ओर

AFSPA का क्षेत्र दायरा घटा, लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी

पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति में सुधार के प्रयासों के परिणामस्वरूप सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत आने वाले अशांत क्षेत्रों का दायरा घटा है। इन क्षेत्रों में असुरक्षा की बजाय आकांक्षा की भावना तेजी से बढ़ रही है।

- **असम:** असम का 60% भूभाग अब AFSPA दायरे से मुक्त।
- **मणिपुर:** राज्य के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन अशांत क्षेत्र के दायरे से बाहर आ गये हैं।
- **अरूणाचल प्रदेश :** केवल 3 जिलों और 1 जिले के 2 पुलिस स्टेशन में AFSPA बचा है।
- **नागालैंड :** राज्य के 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन से अशांत क्षेत्र की अधिसूचना हटा ली गयी है।
- **त्रिपुरा और मेघालय:** दोनों राज्यों से AFSPA पूरी तरह से हटा लिया गया।

बहुमुखी विकास की पटरी पर पूर्वोत्तर

अशांति, असुरक्षा और अवरोध ने पूर्वोत्तर में प्रगति के पहिये को पटरी से उतार दिया था। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 'लुक ईस्ट' पॉलिसी की बदौलत एकबार फिर पूर्वोत्तर की प्रगति को पटरी पर लाकर गति देने में सफलता मिली।

बजट ने बढ़ाई विकास की रफ्तार:

बजट में 110% की वृद्धि:
2014-15 के 36,108 करोड़ रूपये की तुलना में बजट को 110% बढ़ाकर 2022-23 में 76,040 करोड़ रुपये किया गया।

एनईसी आवंटन:
समाज के वंचित क्षेत्रों तथा उपेक्षित वर्गों के लिए एनईसी आवंटन का 30% निर्धारित।

पीएम-डीईवीआईएनई (PM-DevINE) योजना:
बजट 2022-23 में 1,500 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक आवंटन के साथ पूर्वोत्तर के लिए एक नई योजना।

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम:
"पर्वतमाला" के तहत पीपीपी मोड में 2022-23 में अन्य राज्यों को जोड़ने वाली 60 किमी की 8 रोपवे परियोजनाओं की निविदा प्रस्तावित।

आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ता:
पूर्वोत्तर की प्रगति के लिए 2014 से मार्च, 2021 तक **कुल 2 लाख 65 हजार 513 करोड़ रूपये** धनराशि खर्च।

डोनर मंत्रालय के बजट में बढ़ोत्तरी
2014-15 की तुलना में 2019-20 में डोनर बजट में 65% वृद्धि की गई।

नार्थ ईस्ट काउंसिल: बजट बढ़ा
चौदहवें वित्त आयोग में नार्थ ईस्ट काउंसिल के बजट में डेढ़ गुना की बढ़ोत्तरी हुई।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
पाम ऑयल, राष्ट्रीय बांस मिशन, जैविक खेती, 925 करोड़ रुपये की माजुली परियोजना से पूर्वोत्तर के विकास को गति।

पिछड़े ब्लॉकों की पहचान
विशेष समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने के लिए सभी पूर्वोत्तर राज्यों के 20 जिलों में 40 पिछड़े ब्लॉक्स को चिन्हित किया गया।

यातायात हुआ सुगम, दूरियां हुई कम :

सड़क संपर्क की बढ़ी सुविधा :

2014-15 से अब तक लगभग 48,575 करोड़ रुपये का निवेश करके 5,695 किमी सड़कों का निर्माण हुआ।

प्रगति की उड़ान :

उड़ान स्कीम के अंतर्गत 34 मार्ग परिचालन शुरू।

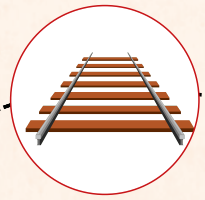

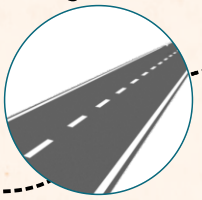

भारतमाला परियोजना:

5,196 किमी लम्बी सड़क के निर्माण की प्रस्तावित योजना, जिसमें से 514 किमी सड़क का काम पूरा।

तेज हुई रेल की रफ्तार :

2014-15 से 2020-21 के बीच पूर्वोत्तर में रेलवे द्वारा कुल 39,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ।

जीरीबाम –इम्फाल नई लाइन परियोजना।

बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क सुनिश्चित करने के लिए अगरतला-अखौरा रेल लिंक परियोजना का काम प्रगति में।

पूर्वोत्तर में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतरिक्ष विभाग के साथ शिलांग में नार्थ इस्टर्न स्पेस अप्लिकेशन सेंटर की स्थापना की थी। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देश में एनईसैक को नई दिशा देने का काम किया जा रहा है।

एनईसैक के चेयरमैन गृहमंत्री श्री अमित शाह के निर्देशानुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग हेतु एक विकासात्मक योजना का खाका (PoA) तैयार किया गया है।

इसमें अलग-अलग 13 क्षेत्रों में 54 करोड़ रुपये की लागत वाली 103 परियोजनाएं शामिल हैं।

NESAC के तहत क्षेत्र में 3 हजार तालाबों के निर्माण तथा इसको पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई है ।

असम में बाढ़ के नियोजन हेतु एनईसैक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ।

सिंगल विंडो आपदा प्रबंधन प्रणाली : आपदा जोखिम को कम करने के लिए एनईसैक द्वारा नार्थ ईस्टर्न रीजनल नोड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें समस्त आपदाओं के संबंध में सिंगल विंडो आपदा सूचना प्रणाली है।

मृदा संसाधन मैपिंग तैयार किया गया है। इसको लेकर एक डैशबोर्ड प्रणाली का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

एनईसैक द्वारा विकसित चुनाव ई-एटलस को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सफलतापूर्वक उपयोग किया गया।

एनईसैक ने निरंतर निगरानी के लिए अन-मैंड एरियल व्हीकल के उपयोग से आपदा के दौरान दवा, भोजन और राहत सामग्री का व्यवस्थित तंत्र तैयार किया है।

वामपंथी उग्रवाद से निर्णायक लड़ाई

शांति, सुरक्षा और समृद्धि की खुलती राहें

समस्या

पिछले चार दशक तक वामपंथी उग्रवाद भारत के लोकतंत्र और विकास के लिए एक चुनौती बना रहा है। हिंसा के सहारे इन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में न सिर्फ विकास कार्यों को ठप्प किया बल्कि इनकी हिंसा के चलते 16,652 सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों ने जान गँवाई।

रणनीति

नए संकल्प, नए लक्ष्य, नए विजन के साथ अग्रसर आत्मनिर्भर भारत में अशांति, असुरक्षा व अवरोध के लिए कोई जगह नहीं है। वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह निर्मूल करने तथा शान्ति, सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने त्रि-आयामी रणनीति बनाई है।

प्रभाव

बत्तीस वर्षों से नक्सलवादियों का गढ़ रहे झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमाओं में स्थित बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के कब्जे से पूर्ण रूप से मुक्त कराना नक्सलफ्री भारत की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता है।

भारत में वामपंथी उग्रवाद की हिंसक घटनाओं और क्षेत्रफल दायरे में बड़ी गिरावट

गृह मंत्रालय की त्रि-आयामी रणनीति से पिछले आठ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद पर लगाम कसने में ऐतिहासिक सफलता मिली है। इस सफलता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है।

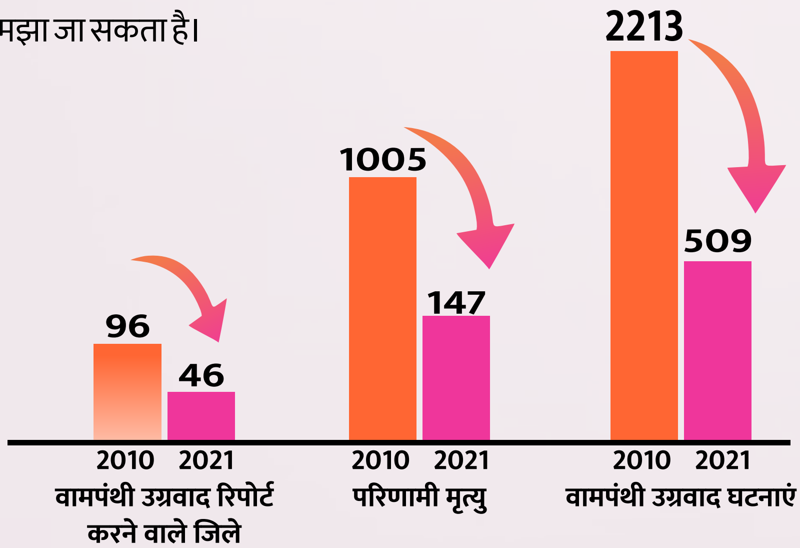

पिछले 8 वर्षों में घटनाओं में अभूतपूर्व कमी

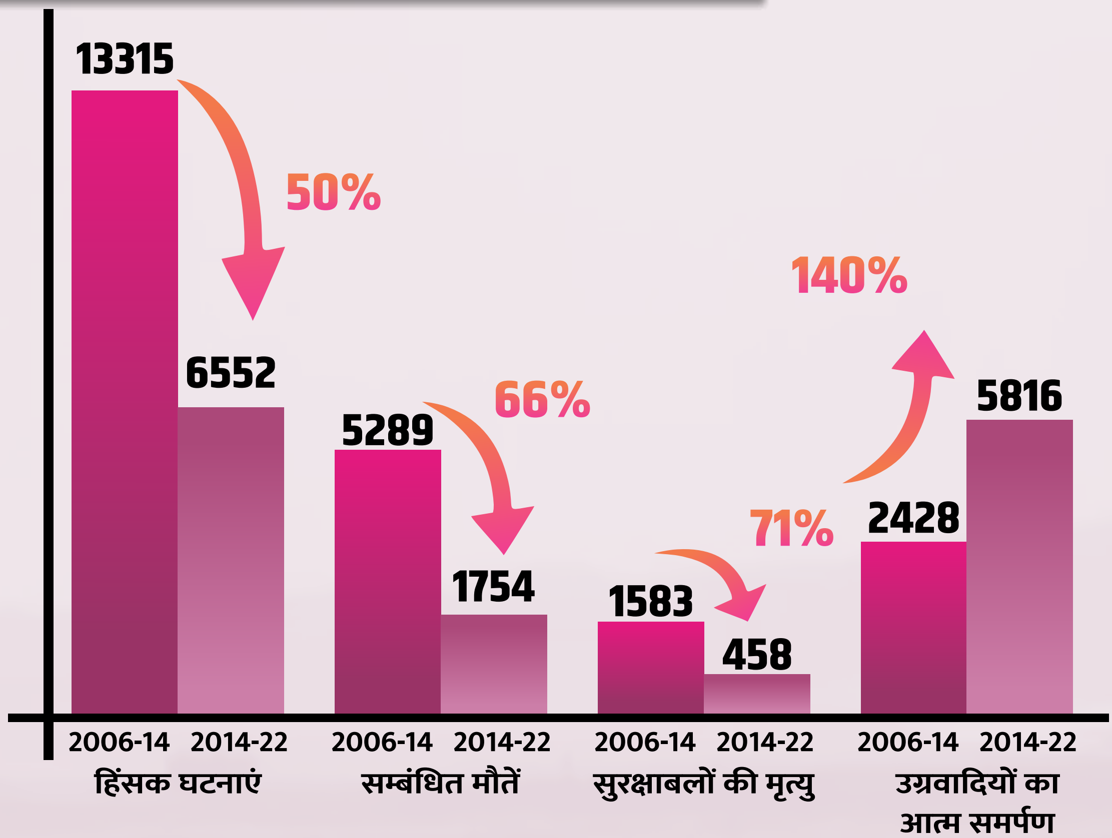

08 साल की तुलना (मई, 2014 से अप्रैल, 2022) बनाम (मई, 2006 से अप्रैल 2014)

2006-14 (UPA)

2014-22 (NDA)

उग्रवादियों पर लगाम कसने की रणनीति

सुरक्षा दायरे का विस्तार व उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में कमी

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2019 से अभी तक 108 नए कैंप बनाये गए।
- सुरक्षा आकलन करके कैम्पों का समय-समय पर स्थान परिवर्तन।
- चार नए जॉइंट टास्क फ़ोर्स (JTF) कैम्प स्थापित किये गए।
- CRPF बटालियंस का री-डिप्लॉयमेंट किया गया।
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 6 बटालियंस की वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती।

आक्रामक रणनीति ने बदली तस्वीर

- वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों के लिए रक्षात्मक नीति में बदलाव करके आक्रामक रणनीति अपनाई गयी।
- नक्सलवादियों की घेराबंदी के लिए सुरक्षा इनोवेटिव तौर-तरीकों को प्रयोग में लाया गया।
- फरवरी 2022 में झारखण्ड के लोहदरगा जिले में नए बने सुरक्षा कैम्पों का उपयोग करके 13 दिवसीय संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें कई सफलताएं मिली।

नक्सलवाद का हर रूप, चाहे वह बंदूक वाला हो या कलम वाला, उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा।

- श्री नरेंद्र मोदी (माननीय प्रधानमंत्री)

उग्रवाद की फंडिंग पर चौकस निगरानी

वामपंथी उग्रवाद को मिलने वाली फंडिंग पर चौकस निगरानी का नतीजा है कि राज्यों द्वारा 22 करोड़ की संपत्ति, ईडी द्वारा 3 करोड़ और एनआईए द्वारा 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।

एनआईए द्वारा जांच में तेजी

वामपंथी उग्रवाद के मामलों की जांच कार्रवाई में तेजी लाने के लिए लिए एनआईए में अलग विभाग बनाकर उन्हें **अब तक 55 मामलों की जांच सौंपी** गई।

विशेष ऑपरेशन के लिए विशेष टीमें तैयार

विशेष बलों की विशेषज्ञता और **नॉलेज शेयरिंग** की सहायता से केंद्रीय तथा राज्यों के पुलिस बलों में विशेष ऑपरेशन टीम्स का गठन।

तकनीक को तरजीह, सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र

नवीनतम तकनीक प्रणाली के उपयोग से मोबाइल लोकेशन, कॉल विवरण, सोशल मीडिया ट्रेकिंग एवं एनालिसिस तथा फॉरेंसिक संस्थाओं के उपयोग का सुदृढ़ तंत्र तैयार हुआ है।

हवाई मार्ग से सहयोग हुआ संभव

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन के दौरान सहयोग तथा दुर्घटना के दौरान राहत-बचाव के लिए हेलीकाप्टर तैनात किये गए हैं। पिछले एक साल में 14 पायलट्स और 3 इंजिनियर नियुक्त हुए हैं। सीआरपीएफ को रात्रिकालीन लैंडिंग हेलिपैड्स बनाने के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध कराई गयी है।

बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय

वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) को जड़ से निर्मूल करने के के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर राजनीति व विचारधारा से ऊपर उठकर बिना किसी अहं की भावना के लगातार सफल प्रयास किये हैं। केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को बिना भेदभाव के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन, हेलीकॉप्टर, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन का निर्माण आदि के लिए सहायता मुहैय्या कराई है।

- भारत सरकार ने **सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना तथा स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम (SIS)** के तहत प्रभावित राज्यों की क्षमता वृद्धि एवं सुरक्षा संबंधी संरचना के लिए धन उपलब्ध कराया।

- केंद्र सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रभावित राज्यों को SRE योजना के तहत **978 करोड़ रुपये** जारी किए गए।

- केंद्र सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में SRE योजना के तहत राज्यों की दी गयी धनराशि में लगभग **104% की वृद्धि** की गयी है।

- प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन हेतु विशेष बलों (SF) तथा विशेष ख़ुफ़िया शाखाओं(SIB) की मजबूती के लिए SIS के तहत 371 करोड़ रूपये की परियोजनाएं।

- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में **620 करोड़ रुपये** की लागत के **250 फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशन** मंजूर किए गए हैं।

- **केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना** के तहत 71 करोड़ की राशि तथा 6 अस्पतालों में प्रगति कार्यों के लिए 12.06 करोड़ रूपये दिए गये।

> मोदी सरकार वामपंथी उग्रवाद को मूल समेत समाप्त करने हेतु कटिबद्ध है।
>
> **- श्री अमित शाह** (माननीय गृहमंत्री)

विकास से जन-भागीदारी

भारत के कुछ अत्यंत पिछड़े और गरीब क्षेत्रों को वामपंथी उग्रवाद ने अपना ठिकाना बनाया। बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों के मन में समाए असंतोष और छोभ को अपना ढाल बनाकर वामपंथी उग्रवाद ने इन क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा रखी थीं। इनके द्वारा उन क्षेत्रों के गरीब व वंचित लोगों के मन में देश की व्यवस्था पर अविश्वास भी पैदा किया गया। परन्तु 2014 के बाद जब इस समस्या पर सरकार की नीति बदली तथा निर्णय का तरीका बदला तब स्थिति भी बदली है। आज वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास की योजनाएं भी पहुँच रही हैं और लोगों का व्यवस्था पर विश्वास भी बढ़ रहा है।

विकास की पहुँच से हासिल हो रहा जनविश्वास

पिछले 08 वर्षों में 9538 करोड़ रूपये की लागत से **8175 किमी सड़कों का निर्माण** हुआ है।

वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित **90 जिलों में डाक विभाग ने हर 03 किमी पर डाकघर** खोले हैं। पिछले 07 वर्षों में बैंकिंग सेवाओं के साथ कुल 4903 नए डाकघर खुले हैं।

अप्रैल-2015 से अब तक **30 सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1253 नई बैंक शाखाएँ** तथा **1264 एटीएम** स्थापित कर लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का काम पूरा हुआ है।

संचार सुविधा को जन-सुलभ बनाने के लिए पहले चरण में **4080 करोड़ रूपये की लागत से 2343 मोबाइल टावर** लगाने का काम पूरा हो चुका है तथा दूसरे चरण में **2210 करोड़ के व्यय से 2542 मोबाइल टावर** लगाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उग्रवाद प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ता देने के लिए **234 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय** स्वीकृत किए गए जिनमें से 63 विद्यालय शुरू भी हो चुके हैं।

वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित 47 जिलों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs) और 68 कौशल विकास केंद्र (SDCs) स्वीकृत किये गये। इनमें से 30 ITIs और 61 SDCs बनकर तैयार हो चुके हैं।

सुरक्षा बलों को लेकर स्थानीय लोगों के मन में विश्वास और आत्मीयता भाव को बढ़ाने के लिए **सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP)** चलाया गया।

मई, 2014 से अब तक **140 करोड़ रुपये खर्च करके सशस्त्र अर्धसैनिक बलों** द्वारा स्थानीय लोगों के लिए **स्वास्थ्य शिविर, पेयजल, सोलर लाइट, दवाओं का वितरण, कौशल विकास, कृषि उपकरण, बीज आदि** मुहैय्या कराने की दिशा में सफलतापूर्वक कार्य हुए हैं।

जनजातीय युवा एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत **20.5 करोड़ खर्च करके 17,000 युवकों को तकनीक और प्रगति के नए अनुभवों** से जोड़ने और समझने के लिए देश के बड़े और विकसित क्षेत्रों के दौरे पर ले जाया गया। स्थानीय युवाओं के मन पर इसका सकारात्मक असर पड़ा है।

नशामुक्त भारत
अब नहीं चलेगा नशे का कारोबार

चुनौती

मादक पदार्थ का कारोबार आज भारत ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व की समस्या है। इसका व्यसन जहाँ एक ओर युवाओं को समाज पर बोझ बना देता है वहीं इसके व्यवसाय से हुई कमाई अपराध और आतंकवाद जैसी समस्याओं को बढ़ावा देती है। मोदी सरकार नशे की समस्या को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती मानती है।

रणनीति

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने तय किया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'नशा-मुक्त भारत' के आह्वान को अमृत काल का दृढ़ संकल्प बनाना है। इसी संकल्प पर चलते हुए गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति के साथ त्रिसूत्रीय रणनीति बनाई है।

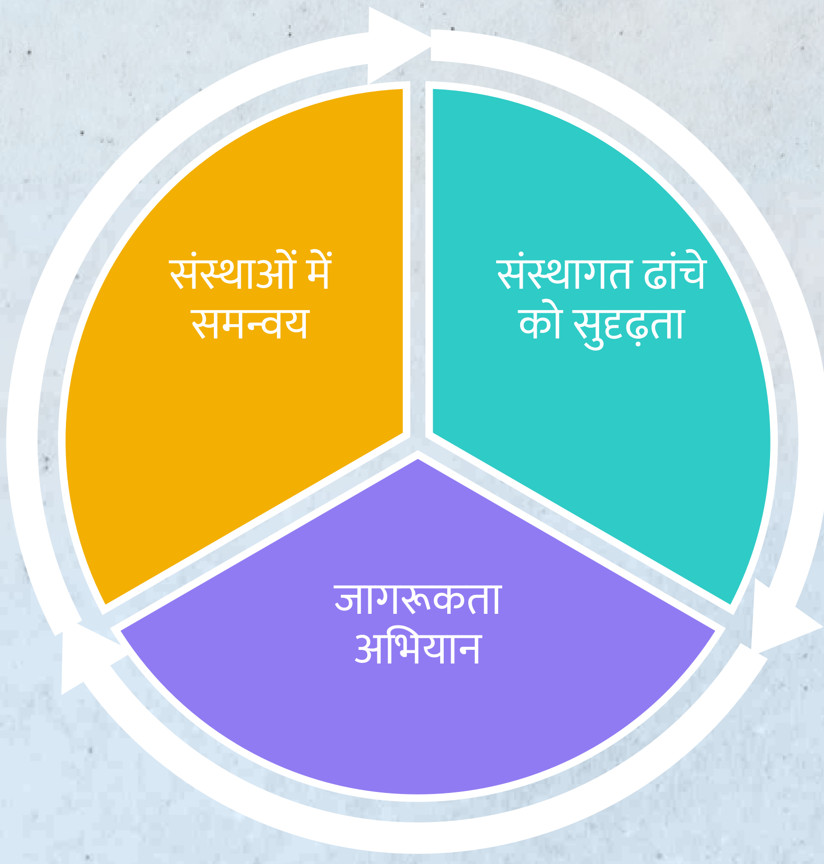

संस्थागत ढांचे की सुदृढ़ता

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नशा कारोबार पर नियन्त्रण के लिए संरचना को सुदृढ़ बनाने और जवाबदेही पर जोर दिया। इसी के अनुरूप गृह मंत्रालय द्वारा संस्थागत रिस्ट्रक्चरिंग और कानूनी प्रावधानों को मजबूती देने के सतत प्रयत्न किये गए हैं।

NCORD – एनकॉर्ड

बेहतर सामंजस्य एवं तालमेल के लिए वर्ष 2019 में चार स्तरीय NCORD मेकैनिज्म को सुदृढ़ किया गया। शीर्ष स्तरीय एन-कॉर्ड समिति उसके बाद क्रमशः कार्यकारी स्तरीय एन-कॉर्ड समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय एन-कॉर्ड समिति और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय एन-कॉर्ड समिति गठित हुई। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को NCORD की नोडल एजेंसी बनाया गया।

संयुक्त समन्वय समिति (JCC) का गठन

मादक पदार्थ की तस्करी में तहों तक जाने और पता लगाने के लिए और मादक पदार्थ की बड़ी जब्ती के मामलों की विस्तृत जांच के लिए संयुक्त समन्वय समिति (JCC) का गठन हुआ।

एनसीबी कैडर का पुनर्गठन

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्षमता व परिणाम को बढ़ाने के लिए, इसके कैडर पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया। इसमें पहले चरण में 682 पदों के सृजन और 05 नए जोनल कार्यालयों के निर्माण का कार्य शामिल है।

नार्को संबधित नेशनल डेटाबेस

माननीय गृहमंत्री के निर्देशानुसार NCB द्वारा नारकोटिक्स, नार्को-फंडिंग, नार्को-टेरर से संबंधित घटनाओं, नशीली दवाइयों की तस्करी के ट्रेंड के विश्लेषण और अपराधियों से संबंधित विस्तृत नेशनल डेटाबेस तैयार करने का कार्य।

दोहरे उपयोग वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दुरुपयोग

दोहरे उपयोग वाली दवाओं के दुरूपयोग को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थायी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें फार्म सेक्टर, मेडिकल कमीशन, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा इंडस्ट्री से संबंधित विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

वित्तीय निगरानी के लिए सख्त जांच प्रक्रिया

मादक पदार्थों के पैसे से बनाई संपत्तियों की जब्ती एवं इसपर कार्रवाई के लिए वित्तीय दस्तावेजों का गहन विश्लेषण किया जाता है। इसके द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पता लगाने के लिए हवाला लेनदेन पर कार्रवाई की दिशा में काम किया जाता है। आवश्यक जानकारी को संबंधित जांच एजेंसियों से साझा किया जाता है।

समुद्री मार्ग पर सख्त निगरानी की नीति

लगभग 60-70% नार्कोटिक्स ड्रग्स की तस्करी मुख्यत: समुद्री मार्ग से होती है। समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने हेतु विशेष अभियान चलाकर सरकार ठोस कदम उठा रही है।

- इस अभियान के तहत सभी तटीय राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों द्वारा विशेष प्रयास के निर्देश दिए गए, जिसमे और राज्यस्तरीय एन-कार्ड समिति की बैठकों में कोस्ट-गार्ड, नेवी, बंदरगाह ऑथोरिटी इत्यादि को स्टेकहोल्डर बनाया गया है।
- इन सभी स्टेकहोल्डर्स द्वारा व्यापक नीति के तहत सभी बंदरगाहों पर ऐसी व्यवस्था, जिससे वहाँ आने-जाने वाले कंटेनर्स की एक प्रक्रिया के अनुसार स्कैनिंग हो सके।
- कंटेनर स्कैनर्स और संबन्धित उपकरणों के प्रबंध हेतु मिनिस्ट्री ऑफ़ शिपिंग को आवश्यक कदम उठाने को कहा गया।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय

DEA, AFP, NCA, RCMP आदि जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ उचित समन्वय बनाया गया, जिससे अन्तराष्ट्रीय ड्रग माफिया पर नियंत्रण करने में काफी मदद मिल रही है।

ड्रग नेटवर्क चार्ट और मैपिंग

नशीली दवाओं के स्रोत और गंतव्य पर काम करने के लिए पूरा ड्रग नेटवर्क चार्ट तैयार किया जाता है और मैपिंग भी की जाती है।

नार्को - कैनाइन पूल

ड्रग्स की तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नार्को - कैनाइन पूल विकसित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

> ड्रग्स के विरुद्ध इस लड़ाई को मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरी मजबूती से लड़ रहा है...
> मोदी सरकार न भारत में ड्रग बनने देगी, न बाहर से भारत की सीमा में आने देगी और न ही यहाँ से कहीं बाहर जाने देगी।
>
> **- श्री अमित शाह** (माननीय गृहमंत्री)

नार्को संस्थाओं के साथ समन्वय

लचर कानूनों, समन्वय में कमी, जवाबदेही में अभाव को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने "सरकार का समग्र एप्रोच" के तहत अंतर विभागीय समन्वय पर निरंतर जोर दिया है।

NCORD की चार स्तरीय रचना के द्वारा समन्वय: सभी केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय ड्रग विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यों के ड्रग कानूनों के प्रवर्तन संबंधी नीति और परिचालन मुद्दों से जुड़े समाधान के प्रयास किये जा रहे हैं।

- सभी स्तरों पर NCORD की मीटिंग नियमित रूप से हो।
- **एन-कॉर्ड पोर्टल-** एकीकृत ड्रग डाटा, सूचना प्रबंधन, सरकारी आदेश, संबंधित कानूनों, मैपिंग, नियम, बेस्ट प्रैक्टिसेज, स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, न्यायालय के आदेशों और रिपोर्टिंग तंत्र इत्यादि की जानकारी इस पोर्टल से त्वरित उपलब्ध हों, इस दिशा में कदम उठाये गये हैं।

केन्द्रीय स्तर के स्टेकहोल्डर्स के बीच समन्वय: समन्वय तंत्र के महत्व को देखते हुए माननीय गृहमंत्री ने नार्को सम्बंधित मैकेनिज्म में सभी केंद्रीय स्तर के अन्य स्टेकहोल्डर्स जैसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, पोत मंत्रालय, NCRB, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), भारतीय तटरक्षक बल, DRI और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को शामिल किये जाने के निर्देश दिए।

एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन: माननीय गृहमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी राज्य, ADG/IG पुलिस अधिकारियों के तहत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फ़ोर्स काम करें।

नार्कोटिक्स प्रशिक्षण मॉड्यूल: माननीय गृहमंत्री के निर्देशनुसार BPR&D तथा NCB मिलकर एक नारकोटिक्स प्रशिक्षण मॉड्यूल राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करके राज्य पुलिस, CAPF कार्मिक, प्रॉसिक्यूटर्स और विभिन्न सिविल डिपार्टमेंट के लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

ड्रग्स तथा डार्क-नेट पर लगाम: अवैध ड्रग्स में डार्क-नेट तथा क्रिप्टो-करेंसी पर नियंत्रण के लिए सूचना तंत्र की आवश्यकता पर जोर और एक समन्वय SUBMAC के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए।

अवैध ड्रग्स की खेती की रोकथाम: इसके लिए ड्रोन, सेटलाइट और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके एरिया मैपिंग के निर्देश दिए गए हैं।

ड्रग्स, डिजिटल और संबद्ध फोरेंसिक से संबंधित मामलों में सहयोग की संभावना तलाशने और उसे स्थापित करने के लिए, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका लाभ सभी संबधित एजेंसियों को होगा।

जागरूकता अभियान से जनजागरण

नशामुक्ति के लिए समाज में जनजागरण के बहुस्तरीय प्रयासों की दिशा में केंद्र की सरकार ने कदम उठाये हैं।

नार्कोटिक्स कॉल सेण्टर

"मानस" नाम से परिकल्पित नेशनल नार्कोटिक्स कॉल सेंटर का कार्यान्वयन किया गया जो कि सभी एजेंसीज तथा आम जनता के बीच संवाद-सेतु का काम कर रहा है।

युवाओं में जागरूकता के प्रयास

सभी प्रमुख कारागारों में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करने के साथ युवाओं और छात्रों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

'नशा-मुक्त भारत' शपथ अभियान

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्ति के खिलाफ 'नशा-मुक्त भारत' मुहिम की शुरूआत की जिसे ई-शपथ अभियान के द्वारा लाखों लोगों तक पहुँचाया गया।

परिणामों में दिखा परिवर्तन

केंद्र की मोदी सरकार के बहुस्तरीय प्रयासों का परिणाम है कि 2014 के बाद जब्त किये गए मादक पदार्थों की मात्रा में लगभग 100% की वृद्धि हुई और इसका व्यापार करने वालों के विरुद्ध दर्ज मामलों में 152% की बढ़ोत्तरी हुई है।

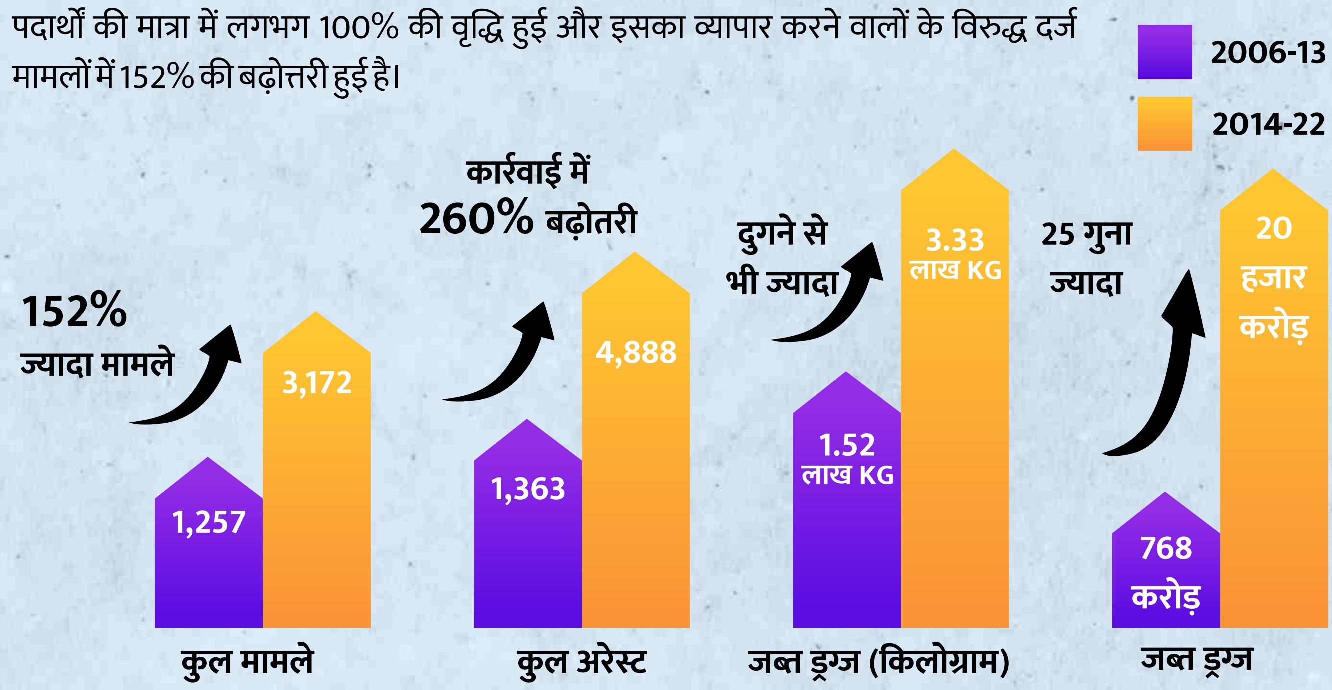

घातक मादक द्रव्यों पर विशेष अभियान

पिछले कुछ वर्षों में एन्फोर्समेंट एजेंसियां गांजा, चरस और हेरोइन जैसे पारंपरिक ड्रग्स के साथ-साथ कोकीन, केटामाइन, मेफेड्रोन जैसी सिंथेटिक ड्रग्स जैसे नए ड्रग्स, जो अधिक घातक हैं, पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। पिछले पांच वर्षों (2016-21) के दौरान 61 नए साइटोट्रोपिक पदार्थ अधिसूचित किए गए हैं। भारतीय एजेंसियों ने वर्ष 2021 में ही 14 हजार किलोग्राम ब्यूप्रेनोफिन, अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल जब्त किया है।

आधुनिक मादक द्रव्यों के सीजर की तुलना (किलो में)

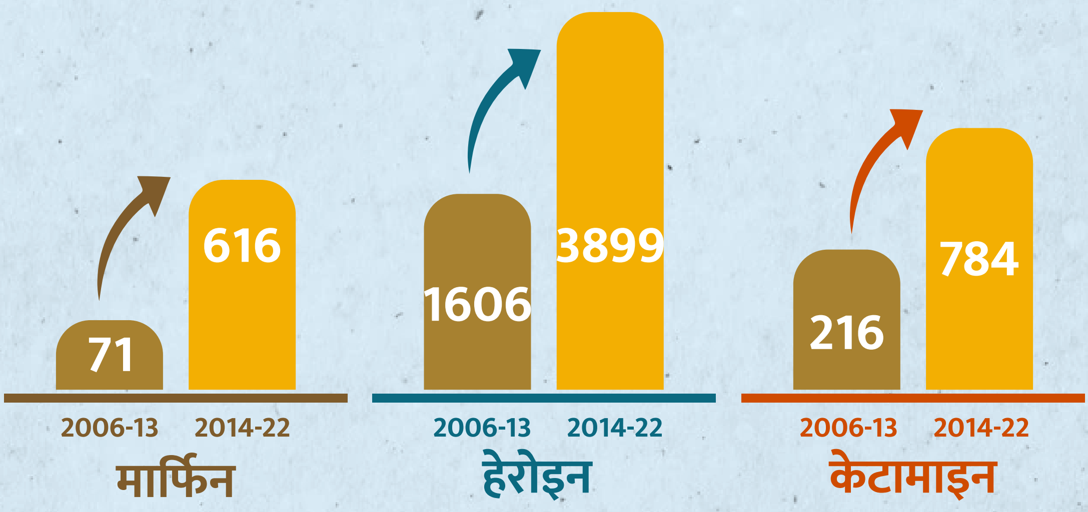

नशे के कारोबार से कमाया गया पैसा देश के विरुद्ध हो रहा इस्तेमाल : अमित शाह

गृह मंत्री बोले– नशे पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टालरेंस की नीति अपना रही सरकार

कहां कितनी ड्रग्स हुई नष्ट	
दिल्ली	19,320 किलो
चेन्नई	1,309 किलो
गुवाहाटी	6,761 किलो
कोलकाता	3,077 किलो

अभियान : मोदी राज में 3.3 लाख किलो ड्रग्स पकड़ी

गृह मंत्री शाह की निगरानी में एनसीबी ने नष्ट की 31 हजार किलो ड्रग्स

Decisive war against drugs, says Shah

'Between 2014 and 2021, contraband estimated at ₹20,000 crore was seized in the country'

SPECIAL CORRESPONDENT
CHANDIGARH

Home Minister Amit Shah on Saturday said the Union government was effectively waging a decisive war ...

and National Security aimed at formulating strategies to root out the drug abuse from the northern States.

CMs joined

The Chief Ministers of Haryana, Himachal Pradesh and Punjab, the Administrator of Chandigarh and officers of ...

चंडीगढ़ में एनसीबी के कार्यक्रम में गृह मंत्री बोले

ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए 272 जिले, 80 हजार गांव चिह्नित: शाह

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

ड्रग्स तस्करी समाज और देश को खोखला कर देती है। इसलिए हमने अब कुल 272 जिले और करीब 80 हजार से ज्यादा गांव चिह्नित कर लिए हैं। अब ...

और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उससे ज्यादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में ये बातें 'नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए कहीं। शाह ने कहा कि ड्रग्स आतंकी घटनाओं से भी खतरनाक है, क्योंकि आतंकी घटनाओं का नुकसान तो सीमित होता है, लेकिन ड्रग्स तो हमारी पीढ़ियों को खोखला कर देती है। ...

31,000 किलोग्राम ड्रग्स जलाई

अमित शाह की निगरानी में शनिवार को चंडीगढ़ समेत देश के बड़े शहरों में ...

20 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी

शाह ने कहा कि 2006 से 2013 तक 768 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स पकड़ी गईं, जबकि 2014 से 2021 के बीच 20 हजार करोड़ कीमत की ड्रग्स पकड़ी। 1 जून से 15 अगस्त तक ड्रग्स नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा ...

आतंकवाद से लड़ाई

जीरो टॉलरेंस की नीति ने आतंकवाद के हौसले को पस्त किया

NIA एक्ट में संशोधन, 2 अगस्त 2019

- NIA के अधिकार क्षेत्र में नए अपराधों को शामिल किया गया
- NIA को अतिरिक्त territorial क्षेत्राधिकार

NIA एक्ट में संशोधन, 14 अगस्त 2019

- आतंकवाद से अर्जित/संबंधित संपत्ति जब्त करने का अधिकार
- संलिप्त को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार

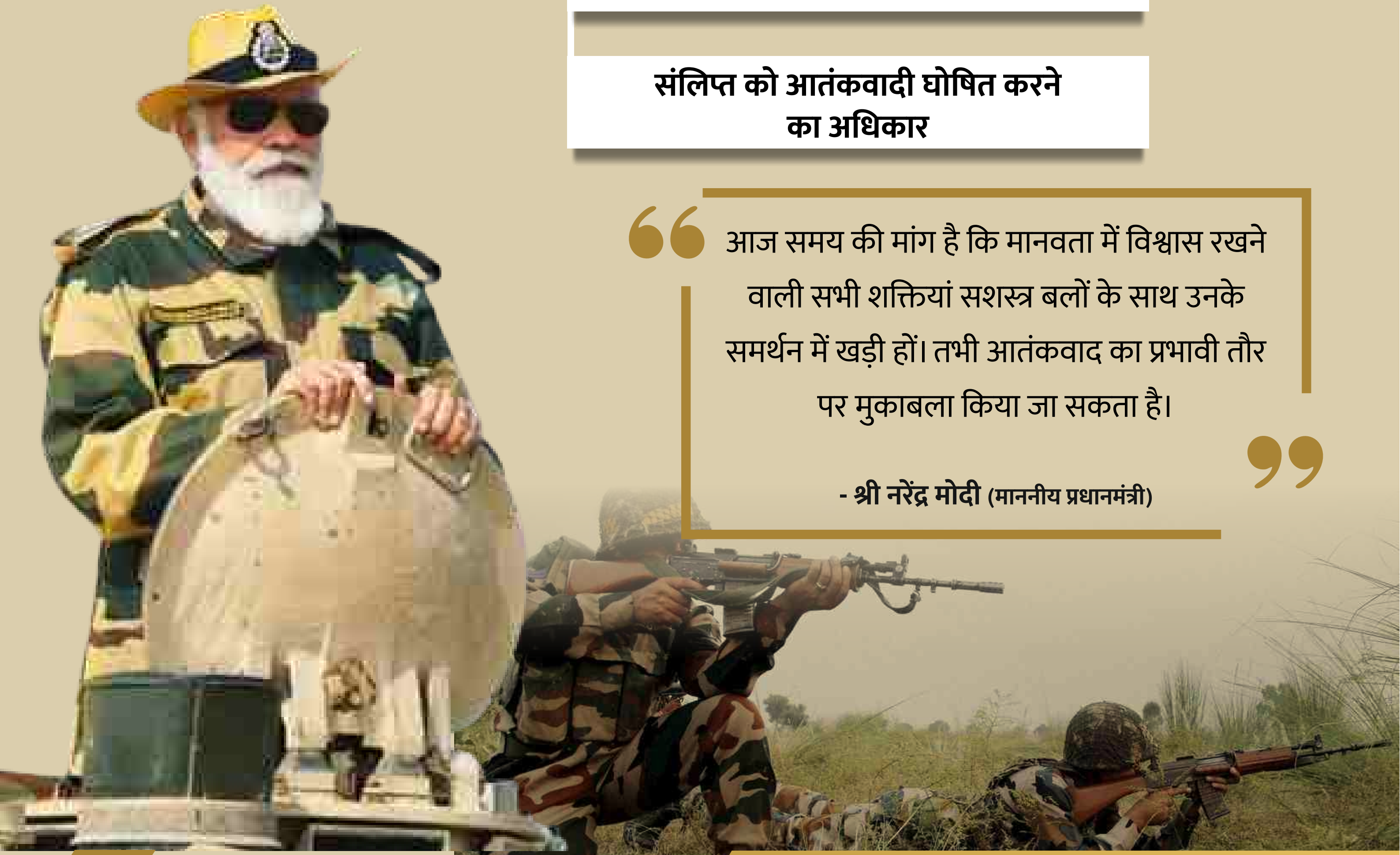

> "आज समय की मांग है कि मानवता में विश्वास रखने वाली सभी शक्तियां सशस्त्र बलों के साथ उनके समर्थन में खड़ी हों। तभी आतंकवाद का प्रभावी तौर पर मुकाबला किया जा सकता है।"
>
> **- श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)

आतंकवाद के वित्तपोषण को नियंत्रित करने के लिए एकीकृत कार्य योजना

- 25 सूत्रीय एकीकृत कार्य योजना
- जेहादी आतंकवाद, उत्तर-पूर्व विद्रोह, वामपंथी उग्रवाद, कश्मीर उग्रवाद, FICN, नारकोटिक्स फाइनेंसिंग, नॉन-प्रॉफिट आर्गेनाईजेशन और हवाला

कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए एकीकृत कार्य योजना

- गृह मंत्रालय द्वारा कट्टरवाद रोधी/डी-रेडिकलाइजेशन प्रयासों का समन्वय
- विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपनी रणनीति तैयार होगी
- कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित

Revamping MAC (मल्टी एजेंसी सेंटर) Working मल्टी एजेंसी सेंटर (कार्य, शक्तियां और कर्तव्य) आदेश, 2022

- MAC का दायरा बढ़ाया गया और साइबर सुरक्षा, नार्को-आतंकवाद, गन रनिंग, सुनियोजित आपराधिक नेटवर्क तथा उभरते कट्टरवादी हॉट स्पॉट जैसी कई चुनौतियों को इसके दायरे में लाया जा रहा है।
- 'नेशनल मेमोरी बैंक (NMB)' को स्थापित कर उसको प्रभावी रूप से लागू करना
- सूचनाओं के आधार पर एक केंद्रीय डाटाबेस की रचना

अन्य सुधार

विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम, 1988 में संशोधन :

माननीय प्रधानमंत्री की सम्पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसपीजी अधिनियम को और अधिक प्रभावी

शस्त्र अधिनियम, 1959 में संशोधन :

हथियारों की अवैध तस्करी और इस्तेमाल को रोकने के लिए

निजी क्षेत्र के लिए

निजी क्षेत्र के लिए हथियार और गोला-बारूद निर्माण क्षेत्र को खोला गया

Sikhs for Justice की गैरकानूनी एसोसिएशन रूप में घोषणा

पुलिस अनुसन्धान एवं विकास ब्यूरो के चार्टर में विस्तार

2014 के बाद से भारतीय शहरों (हिंटरलैंड) में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं

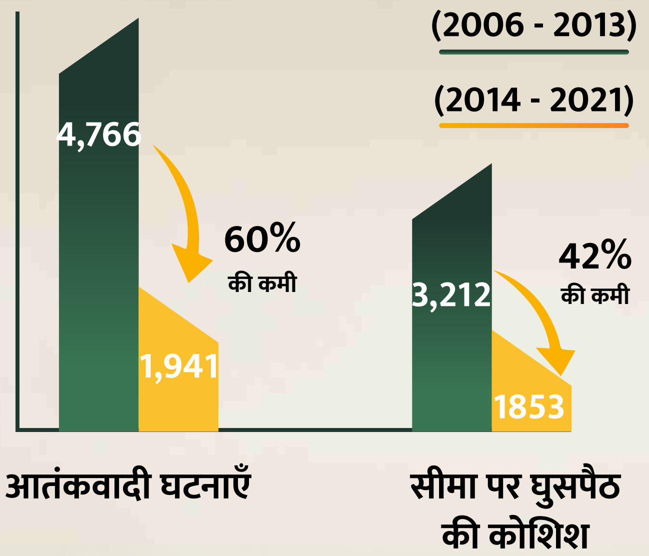

सशक्त भारत : आतंकवाद में उल्लेखनीय कमी

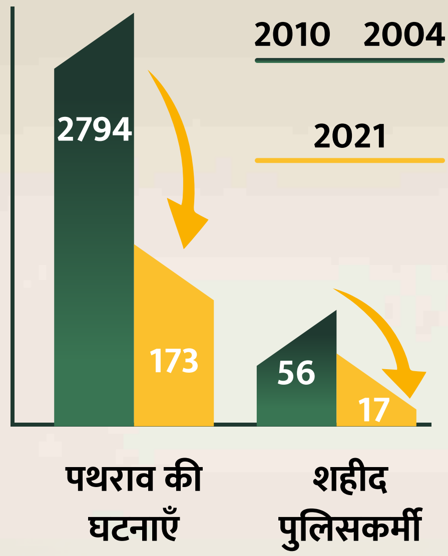

1. नए संशोधन के तहत अब तक **38 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित** कर दिया गया है।
2. **आतंकवादियों की शेल्फ लाइफ में कमी :** अब आतंकवादी की **शेल्फ लाइफ, जो 2017-18 में लगभग 2 साल थी, वह अब केवल कुछ दिनों तक** ही सीमित हो गई है।
3. **आतंकवादियों द्वारा घटनाओं को अंजाम देने की क्षमता सीमित :** कई घटनाओं को अंजाम देने में सफल होते थे, अब आतंकवादी की क्षमता 1-2 घटनाओं तक सीमित हो गई है।
4. **आतंकवादी महिमामंडन पर कड़ा प्रतिबन्ध**

> हमको आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होना होगा क्योंकि आतंकवाद व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ है।
>
> **- श्री अमित शाह** (माननीय गृहमंत्री)

संघीय ढांचे को सुदृढ़ता

संवाद से समाधान की नीति से बेहतर हुए अंतरराज्यीय संबंध

चुनौती

राजनीतिक मतांतरों, विपरीत विचारधाराओं तथा संवाद की खाई बढ़ने से केंद्र-राज्य संबंधों के लिए गठित अंतरराज्य परिषद् अपना दायित्व प्रभावी रूप से नहीं निभा पाती थी। इसकी वजह से विकास, शांति और सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे राज्यों के बीच परस्पर खींचतान के कारण दशकों तक लंबित रहे।

रणनीति

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के **"संवाद से समाधान"** के मंत्र पर चलते हुए गृह मंत्रालय ने पिछले आठ वर्षो में बिना किसी अहंकार और राजनीति के न सिर्फ राज्यों से सीधा संपर्क साधा बल्कि परिषद् के विभिन्न मंचों पर राज्यों के साथ पेचीदा विषयों पर सहमति बनाने के प्रयास किये। परिणामत: राज्यों के साथ संवाद की निरन्तरता में पहले की तुलना में अप्रत्याशित तेजी आई है। अंतरराज्य परिषद् अपने चार उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत है।

- केंद्र- राज्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध
- अंतर्राज्य विवादों और मुद्दों का सहमति से समाधान
- राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना
- देश मे सभी राज्यों साझा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करना
- सभी स्टेकहोल्डरों के बीच मजबूत सहयोग तंत्र स्थापित करना

बैठकों की निरंतरता से समाधान की ओर बढ़ते कदम

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 10 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राज्य परिषद की 11वीं बैठक जुलाई 2016 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में चार प्रमुख एजेंडा निकल कर आये:

- केंद्र-राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की सिफारिशों पर विचार।
- आधार और DBT का उपयोग।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।
- आतंकवाद /उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए पुलिस सुधार, पुलिस आधुनिकीकरण और खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान।

परिणाम

वर्ष 2014 के बाद क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की संख्या में पहले की तुलना में लगभग तीन गुना बढ़ोत्तरी हुई है

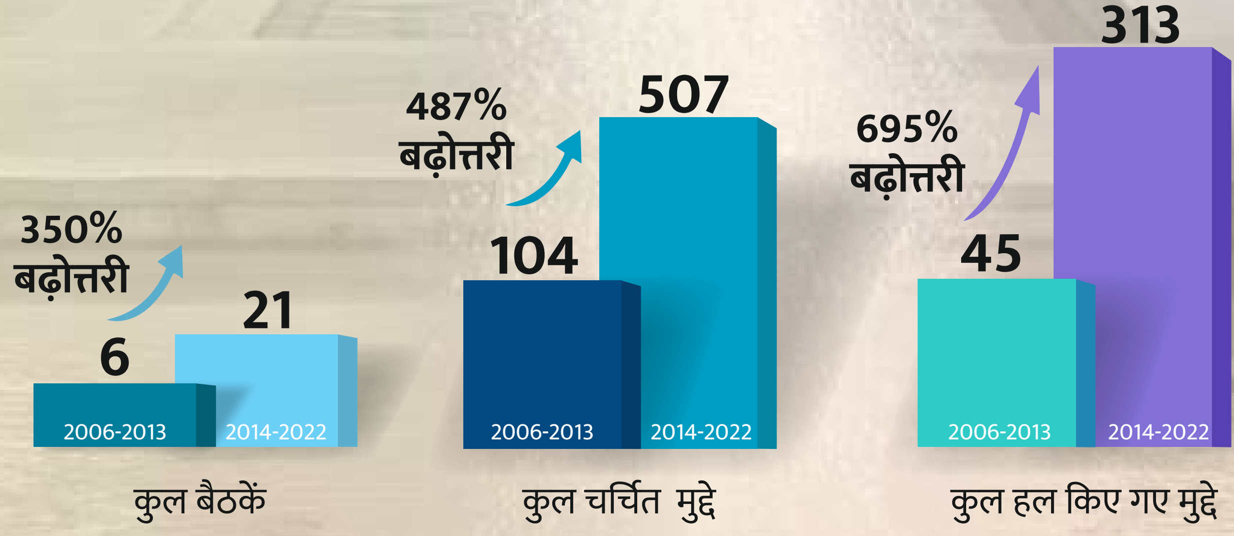

उपलब्धियां: दिखने लगा समाधान

माननीय गृहमंत्री द्वारा इन बैठकों में खुले मन से संवाद को बढ़ावा देने से राज्यों के बीच लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में तेजी आई है।

खाद्यान्नों के भंडारण से संबंधित मुद्दे का निवारण:

खाद्यान्नों के भंडारण को लेकर मानदंडों में विसंगति का मुद्दा लंबित था। जनवरी 2020 की रायपुर बैठक में माननीय गृहमंत्री ने मानदंडों के निर्धारण में इस तरह की विसंगतियों को दूर करने के विषय को संज्ञान में लेकर 22 जनवरी 2021 को संशोधित मानदंड जारी करके राज्यों की चिंता का समाधान किया गया।

प्रसाधित कोयले पर रॉयल्टी:

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं बैठक में झारखंड सरकार ने कोयले पर रॉयल्टी के भुगतान से संबंधित मुद्दा उठाया। माननीय गृहमंत्री के निर्देश पर इस मुद्दे की कोयला मंत्रालय द्वारा जांच करके निर्णय लिया गया कि रॉयल्टी रन-ऑफ-माइन कोयले पर देय है न कि प्रोसेस्ड कोयले पर। इसके अनुसार नियम संशोधित कर समाधान का रास्ता खुला।

पश्चिम बंगाल में 132 केवी इंट्रा स्टेट (चंदनकियारी गोविंदपुर) ट्रांसमिशन लाइन का एक हिस्सा बिछाने की अनुमति:

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की भुवनेश्वर बैठक में यह निर्णय झारखंड और बंगाल की परस्पर सहमति से माननीय गृहमंत्री की उपस्थिति में हुआ।

केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि का शीघ्र हस्तान्तरण:

'सेतुभारतम' परियोजना में एक रोड-ओवर-ब्रिज के निर्माण के लिए मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) में 27 एकड़ रक्षा भूमि का मुद्दा कई वर्षों से लंबित था। माननीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में रक्षा मंत्रालय के सहयोग से मामले का समाधान हुआ।

पश्चिम बंगाल मालदा और झारखंड के बीच राज्य की सीमा के संबंध में विवाद:

माननीय गृहमंत्री की पहल पर यह लंबित विषय बैठक की चर्चा में लाया गया। परिणामत: दोनों सरकारों ने विवादित हिस्से में अंतर-राज्यीय सीमा का सीमांकन करके सीमा मुद्दे को हल करने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मछुआरों के बीच पुलीकट झील विवाद:

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की फरवरी 21 में तिरुपति में आयोजित 29वीं बैठक में समस्या का समाधान हुआ।

मत्स्यपालन झींगा निर्यात में हुई एंटीबायोटिक अवशेषों की जाँच:

2016 में यूरोपीय संघ और जापान को निर्यात किए गए कई झींगा खेप एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति के कारण खारिज कर दिए गए थे। इस मुद्दे पर माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की तिरुपति बैठक में समस्या के समाधान के लिए टास्क फ़ोर्स का गठन हुआ।

नवीकरणीय ऊर्जा का विकास की तमिलनाडु द्वारा उठाई गई विनिमय तंत्र की बाधाओं का समाधान:

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की तिरुपति में बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करके भारत सरकार की सबंधित एजेंसीयों द्वारा विचार-विनिमय करके समस्या का समाधान किया गया।

तमिलनाडु से रेत की आपूर्ति और पुडुचेरी को विदेशों से रेत आयात करने की अनुमति:

तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच की समस्या का समाधान हुआ

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति:

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान से पूर्णकालिक सदस्य का एक अलग पद सृजित करने का मुद्दा उठाया गया। पंजाब और हरियाणा सरकार से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद माननीय गृहमंत्री ने समस्या के समाधान का मार्ग निकला।

पोक्सो के मामलों का शीघ्र न्यायसंगत निस्तारण:

पोक्सो सम्बन्धी जांच को दो महीने में ख़त्म करके शीघ्र निबटने के निर्देश दिए।

फोरेंसिक साइंस लॉ कॉलेज:

सभी राज्यों में खोलने का प्रयोजन।

गांवों के 5 किलोमीटर के भीतर बैंक/आईपीपीबी शाखाओं का कवरेज

समुद्री मछुआरों के सत्यापन हेतु यूआईडीएआई डेटाबेस:

समुद्री मछुआरों के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए क्यूआर कोड सक्षम पीवीसी आधार कार्ड का उपयोग करके जालसाजी की संभावना ख़त्म की गई।

साइबर अपराधों पर सख्त सरकार

रीयल टाइम रिपोर्टिंग, उन्नत तकनीक और जागरूकता से साइबर अपराधों पर शिकंजा

साइबर अपराधों पर रणनीति

2017 में गृह मंत्रालय में साइबर और सूचना सुरक्षा (CIS) प्रभाग बनाया

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय में साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रमुख उपक्रम

- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC)
- पुलिस आधुनिकीकरण योजना
- निर्भया फंड
- 'भारतीय साइबर-अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध से **समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने** के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)' की स्थापना की है। इसके तहत भिन्न-भिन्न उदेश्यों के लिए 7 संस्थाओं / प्लेटफॉर्म्स की भी शुरुआत की गई है :

- राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई (TAU)
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP)
- राष्ट्रीय साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन (NCFL)
- राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र
- राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब पारिस्थितिकी तंत्र
- संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए प्लेटफॉर्म
- राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र

अन्य इनिशिएटिवज

- नागरिक वित्तीय साइबर धोखा-धड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली शुरू, राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930'
- सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्स प्लॉईएटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी)
- CFSL, हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला राष्ट्र को समर्पित
- 'साइबर दोस्त' के माध्यम से साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है।
- साइबर अपराध हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए 7 जेसीसीटी का गठन (मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी)
- फॉरेंसिक विश्लेषण सहायता हेतु एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (अन्वेषण) का गठन किया गया है।

"साइबर हाइजीन" को बढ़ावा देना : केंद्रीय मंत्रालयों और प्रदेश प्रशासन द्वारा 'वार्षिक कार्य योजना' तैयार की जा रही है, तथा प्रत्येक माह के पहले बुधवार को 'साइबर जागरूकता दिवस' के तौर पर मनाया जा रहा है।

परिणाम

साइबर क्राइम पोर्टल पर अब तक **10 लाख से अधिक साइबर क्राइम शिकायतें** दर्ज की गई, इस आधार पर **21 हजार से अधिक FIR दर्ज**; इसके अलावा **लगभग 9 करोड़ से अधिक लोगों ने इस पोर्टल का उपयोग** किया है।

154 साइबर अपराध सूचनाओं को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, LEAs और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ साझा।

टॉप 50 साइबर अटैक के मोडस ऑपरेंडी पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार।

नागरिक **वित्तीय साइबर धोखा-धड़ी** रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली पर अब तक लगभग **32 हजार शिकायतें दर्ज, 70 करोड़ की राशि की बचत** की गई।

राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (अन्वेषण) के माध्यम से अभी तक राज्यों को **पांच हजार से अधिक फॉरेंसिक सेवाएं** प्रदान की गई हैं।

साइबर अपराधों की जांच में LEAs को **लगभग 4500 सेवाएं प्रदान।**

14 हजार पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध जागरूकता, जांच, फॉरेंसिक, आदि पर प्रशिक्षण प्रदान।

UP, नागालैंड, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान सहित **राज्यों में साइबर क्राइम 15 फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैब की स्थापना।**

राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से **347 ऐप्स** को **I4C** की सिफारिश पर **अवरोधित** किया गया है।

अप्रैल, 2022 में कुल **19 गैर कानूनी URLs** को अवरोधित किया गया है।

साइबर अपराध अन्वेषण, फॉरेंसिक्स, अभियोजन आदि पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए **'साइट्रेन' नामक व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC) प्लेटफॉर्म** पर अभी तक **16000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को पंजीकृत** किया गया है और **5000 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी** किए गए हैं।

फॉरेंसिक साइंस

न्यायालयिक विज्ञान शब्द में ही न्याय निहित है

"न्यायालयिक विज्ञान शब्द में ही न्याय निहित है"

लक्ष्य :

- क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टीगेशन के साथ इंटीग्रेट करना।
- दोष-सिद्धि का रेट विकसित देशों के समकक्ष ले जाना ।
- 7 साल से अधिक सजा के मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य करना।
- प्रत्येक जिले में फॉरेंसिक मोबाइल जांच फैसिलिटी उपलब्ध कराना।
- फॉरेंसिक इन्वेस्टीगेशन की स्वतंत्रता, ऑटोनोमी, निष्पक्षता को बनाये रखना।

फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में 4-स्तरीय रणनीति :

1. फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना।
2. फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मैनपावर का निर्माण करना।
3. फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी को उपलब्ध करना।
4. फॉरेंसिक साइंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना।

> पकड़े जाने के भय की ये भावना और अदालत में उसका अपराध साबित होने का डर, अपराध को नियंत्रण में रखने में बहुत मददगार साबित होता है और यहीं पर फॉरेंसिक साइंस की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है
>
> **- श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)

- नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गाँधीनगर, गुजरात की स्थापना।
- नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और डायरेक्टरेट ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस सर्विस के साथ मिलकर राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान अकादमी की शुरुआत।
- केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL), चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा।
- यौन उत्पीड़न एवं हत्या, मानव आपदा पीड़ित पहचान, पितृत्व इकाई और माइटोकॉन्ड्रियल इकाई की जाँच के लिए विशेष इकाइयाँ स्थापित।
- यौन उत्पीड़न मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह, संचालन और भंडारण के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित।
- राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण के लिए 14,950 यौन उत्पीड़न के साक्ष्य किट वितरित किए गए।
- तीन नए केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) तथा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना।
- प्रदेशों में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- देश में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए राज्यों के लिए 203 करोड़ रुपये मंजूर।
- राष्ट्रीय स्वचालित फ़िंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS): 1 करोड़ से अधिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड डिजिटाइज़ किए गए।

> जब तक सजा दिलाने की प्रक्रिया फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर नहीं होगी तब तक हम कन्विक्शन रेट को सुधार नहीं सकते।
>
> **- श्री अमित शाह** (माननीय गृहमंत्री)

सीमा सुरक्षा

चौकस सुरक्षा प्रणाली से अभेद्य हुई भारत की सीमाएं

हमारी सीमा नीति

स्वतंत्रता के पहले दशकों में **सीमा क्षेत्र को पूरी तरह से छोड़ दिया / इगनोर कर दिया था** (PoK, अक्साई चीन, NEFA)

BSF की स्थापना की गई **सीमा सुरक्षा पर फोकस** आया, लेकिन सीमा क्षेत्र के लोगों की, विकास की अनदेखी

अटल जी के कार्यकाल में **सीमा प्रबंधन पर फोकस एक सीमा-एक बल**

मोदी जी के नेतृत्व में : सुरक्षा **Development & Democracy**

"देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्भर करती है। सीमा की सुरक्षा सुरक्षाबलों की शक्ति के साथ जुड़ी है। सीमा पर हमारे जांबाजों का हौसला बुलंद रहे और उनका मनोबल आसमान से भी ऊंचा रहे, इसलिए उनकी हर आवश्यकता आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।"

- श्री नरेंद्र मोदी (माननीय प्रधानमंत्री)

स्पष्ट नीति-सुरक्षित सीमा

- सीमावर्ती क्षेत्रों में **मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर** के निर्माण को बल
- सीमा क्षेत्रों के गावों में **कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन**
- सीमा क्षेत्रों के साथ रेलमार्ग,सड़क मार्ग, जलमार्ग का सुगम जुड़ाव।
- भू-सीमा से ट्रेड को बढ़ावा देन।
- जनता से सीधा संवाद, अर्थात पीपुल टू पीपुल कनेक्ट।

प्रमुख नीतिगत निर्णय

- **सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी :** फेंसिंग, बॉर्डर रोड, फ्लडलाइट्स, BoPs
- सीमा क्षेत्र में गृह मंत्रालय को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन के लिए समुचित सरकार घोषित
- **सीमा क्षेत्र विकास :** 'सीमांत क्षेत्र विकासोत्सव', 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' तथा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रियान्वयन में तेजी
- **सीमा व्यापार :** ICPs

उपलब्धियां: स्पष्ट नीति से निकले परिणाम

बाड़ (Fence)	**कुल 138.754 किमी निर्माण** (भारत-बांग्लादेश सीमा पर 78.09 किमी* का निर्माण पूर्ण; भारत-पाकिस्तान सीमा पर 60 किमी का निर्माण पूरा; भारत-म्यांमार सीमा पर 0.663 किमी काम पूरा (*26.718 किमी त्रिपुरा में शामिल)
सीमा क्षेत्र की सडकें Border Roads	**379.665Km का निर्माण पूर्ण {IBB- 102.25** किमी, **IPB- 60.50** किमी, **INB- 164.255** किमी} **ICBR-I – 25 सड़क प्रकल्पों में 18 सड़क (52.66** किमी) **completed** **ICBR –II तहत 683 किमी लंबी, 32 सड़क निर्माण को मंजूरी**
Floodlight	**97.1** किमी **का निर्माण पूर्ण {Indo-Bangladesh- 37.1** किमी, **Indo-Pakistan 60** किमी}
BOPs	**121 Nos का निर्माण पूर्ण {Indo-Bangladesh- 89 Nos., Indo-PakIstan-16 Nos., Indo-ChIna- 03 Nos., Indo-Nepal- 01 No., Indo-Bhutan- 12 Nos.} आईटीबीपी की 47 नई सीमा चौकियों (BOP) और 12 स्टेजिंग कैम्प को मंजूरी**

1. अरुणाचल प्रदेश राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु 18 फुट ट्रेक्स एवं अन्य ढांचों के निर्माण की मंजूरी दी गई।
2. लद्दाख के क्षेत्र की अत्याधुनिक BOP 'Lukung Permanent Integrated Building (PIB)' को बतौर पायलट प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया गया है और ITBP के जवान इसमें Shift हो गए।
3. जम्मू सेक्टर में 179 किमी से अधिक की सीमा में मिट्टी के बांध, पक्की सड़क और नाका-सह-मचान-सह-लड़ाकू बंकरों (135 फीट चौड़ी पट्टी) के निर्माण की परियोजना प्रगति पर
4. गृह मंत्रालय की सभी सीमा अवसंरचना परियोजनाओं की कुशल निगरानी के लिए परियोजना निगरानी इकाई (PMU) की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू
5. भुज सेक्टर पर गुजरात में सीमा सुरक्षा बल के हरामीनाला और सरक्रीक क्षेत्र में 07 Observation Post (O.P.Tower) के निर्माण हेतु सैद्धांतिक मंजूरी।

इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट

- नौ एकीकृत जांच चौकियाँ विकसित और चालू की गई हैं।
- करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण।
- चौदह एकीकृत जाँच चौकियाँ विकास की प्रक्रिया में।
- पेट्रापोल, रक्सौल, सूत्रकांडी और सबरूम में लैंड पोर्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं।
- पिछले 10 वर्षों में प्राधिकरण ने अपनी सभी चालू एकीकृत जांच चौकियों में 3 लाख करोड़ रुपये के सीमा पार व्यापार को आसान बनाया है।
- पिछले 10 वर्षों में व्यापर 13 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।
- 66 लैंड कस्टम्स स्टेशन्स का चरणबद्ध तरीके से एकीकृत जाँच चौकियों में उन्नयन किया जायेगा।
- लैंड पोर्ट्स पर इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस हेतु लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (LPMS) लागू किया गया।
- रेडियोधर्मी किरणों का आसानी से पता लगाने के लिए अपनी एकीकृत जांच चौकियों का 'ड्राइव थ्रू रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर्स' के साथ उन्नयन
- आटोमेटिक नम्बर-प्लेट पहचान आधारित कार्गो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम।
- एक्सेसिबिलिटी नियंत्रण और निगरानी प्रणाली स्थापित।

सीमा क्षेत्र का विकास

पिछले 3 वर्षों के दौरान बीएडीपी को लागू करने वाले 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को ₹ 1100 करोड़ की राशि जारी की गई है। सीमांत विकासोत्सव की कच्छ से शुरुआत ।

हाल ही के बजट में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम

सीमावर्ती गावों में फ्लैगशिप योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन

> सीमा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है, क्योंकि जिस देश की सीमा सुरक्षित नहीं है वो देश सुरक्षित नहीं है।
>
> **- श्री अमित शाह** (माननीय गृहमंत्री)

तटीय सुरक्षा

पानी के मार्ग पर मुस्तैद निगरानी

तटीय सुरक्षा अनुभाग

तटीय सुरक्षा का सशक्तिकरण

- तटीय सुरक्षा स्कीम का सुचारू क्रियान्वयन
- तटीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस पर संवाद एवं समन्वय
- मछुवारों की सुरक्षा
- संयुक्त तटीय गश्त एवं पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल
- राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी

तटीय सुरक्षा स्कीम का सुचारू क्रियान्वयन

- दो चरण को पूर्ण किया गया।
- तटीय प्रदेशों को 131 तटीय पुलिस स्टेशन, 10 समुद्री पुलिस ऑपरेशन सेंटर, 60 जेटी, 131 चार पहिया वाहन और 242 दोपहिया वाहन प्रदान किए गए।

तटीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस पर संवाद एवं समन्वय

- तटीय सुरक्षा और आसूचना के समन्वय पर पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित की गई।
- भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समुद्री पड़ोसी देशों में भारतीय मिशनों के साथ समन्वय।

संयुक्त तटीय गश्त एवं पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल तय किये गए

- अगस्त 2020 से प्रभावी ढंग से शुरू किया गया।
- तटीय जल तथा तटीय रेखा को प्रभावकारी रूप से सुरक्षित रखने के लिए नया तटीय पेट्रोलिंग/एसओपी/पैटर्न/ प्रोटोकॉल लाया गया।

राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी (NACP)

- भारत सरकार ने द्वारका, गुजरात में छह बैचों में कुल 338 तटीय पुलिस/ सीमा शुल्क कर्मियों ने समुद्री पुलिस फाउंडेशन कोर्स को पूरा किया।

मछुआरों की सुरक्षा

- मछुआरों की पहचान के लिए क्यूआर कोड सक्षम पीवीसी आधार कार्ड का प्रावधान कर सुरक्षा के प्रयासों को और सक्षम बनाया गया ।
- लगभग 10 लाख QR कोड वाले आधार कार्ड वितरित ।
- 3 लाख से अधिक नौकाओं का पंजीकरण ।
- सितंबर, 2020 में मछली पकड़ने की नौकाओं के रंग कोडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली।
- 1537 मत्स्य अवतरण बिन्दुओं को चिन्हित कर सर्वेक्षण करना ।
- मछुआरों के लिए राष्ट्रव्यापी टोल फ्री नम्बर 1554 ।
- सिंगल प्वाइंट मूरिंग्स (एसपीएम) की सुरक्षा पर SOP निश्चित ।

> मोदी सरकार सभी राज्यों के साथ मिलकर देश की तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ और अभेद्य बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है।
>
> **- श्री अमित शाह** (माननीय गृहमंत्री)

महत्वपूर्ण पहल

गैर-प्रमुख बंदरगाह की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी

महत्त्वपूर्ण संपत्तियों और केंद्रों का तटीय मानचित्रण

एक समान तटीय सुरक्षा संगठनात्मक संरचना / क्षेत्राधिकार निश्चित करना

तटीय सुरक्षा के लिए समर्पित कैडर का निर्माण किया जा रहा है

फिश लैंडिंग सेंटरों की निगरानी के लिए तकनीकी समाधान ढूँढना

मॉडल तटीय राज्य के लिए रोड मैप की तैयारी: तटीय समुद्र और तटीय रेखा की प्रभावी सुरक्षा, आईसीजी और तटीय पुलिस के बीच वास्तविक समय के समन्वय के लिए।

तटीय राज्यों में समुद्री बोर्डों का गठन किया जा रहा है

EEZ तक अपराध की जाँच के लिए 10 तटीय पुलिस स्टेशनों की अधिसूचना

बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Port Security - BoPS) में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन।

घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आई.आर.एस.) में समुद्री घटनाओं की रिपोर्टिंग के प्रावधान को शामिल किया गया

सामान्य संचार योजना हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और एक कॉमन कम्युनिकेशन प्लान (COMPLAN) विकसित किया जा रहा।

आपदा प्रबंधन

सजगता, सतर्कता, राहत, बचाव, पुनर्वास का समग्र दृष्टिकोण

दृष्टिकोण: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण लाया गया है।

महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय

- अर्ली वार्निंग एवं पूर्व तैयारी आधारित
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना
- "पहले से तैनाती" रेस्पोंस फ़ोर्स
- आपदा निधि का वैज्ञानिक वितरण
- समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जून, 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) शुरू की

आपदा प्रबंधन सम्बन्धी सभी एजेंसियों और विभागों के बीच होरिजेंटल एवं वर्टीकल एकीकरण कर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को एक मैट्रिक्स प्रारूप में भी निर्धारित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संघटन (CDRI) की स्थापना : आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक 10-सूत्रीय एजेंडा पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया

एन.डी.आर.एफ. अकादमी की स्थापना: माननीय गृहमंत्री के द्वारा जनवरी, 2020 में नागपुर में एन.डी.आर.एफ. अकादमी की आधारशिला रखी गई।

"पहले से तैनाती" की नीति के तहत राज्यों में बल की “सक्रिय उपलब्धता”

- NDRF की टीमें देश के 28 शहरों में रीजनल रिस्पांस सेंटर के रूप में सक्रिय।
- NDRF की टीम की मौजूदगी और उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को सुचारू किया गया।
- सभी राज्यों में SDRF का गठन : 26 प्रदेशों में यह काम पूरा।
- आपदा निधि वितरण : वैज्ञानिक प्रोसेस से पूरी की गई है।

वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक

NDRF के तहत 72 हजार करोड़

SDRF के लिए 87 हजार करोड़ जारी किये गये...

प्रोएक्टिव IMCT भेजना

आज प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद और राज्य सरकार के ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना ही IMCT को भेजा जा रहा है।

पिछले 3 वर्षों में विभिन्न राज्यों में 63 IMCT टीम्स भेजी गयी है और 10 दिनों के अन्दर भेज दिया जाता है।

आपदा मित्र योजना

पहल:

- 'आपदा मित्र स्कीम' को 350 बहु-जोखिम आपदा संभावित जिलों में लागू किया गया है।
- जिसका लक्ष्य 1 लाख से ज्यादा युवा Volunteers को प्रशिक्षित किया जाना है।
- इन सभी का सरकार द्वारा जीवन बीमा भी किया जाएगा।
- कुल 369.41 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ आपदा मित्र योजना अनुमोदित की गई।

परिणाम

- एन.डी.एम.ए. ने 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन किया गया।
- गुजरात, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण की शुरुआत हुई।
- 3996 समुदाय वालंटियरों को प्रशिक्षित किया।

कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सी.ए.पी.): आकास्मिकता/आपदा के संबंध में मोबाइल फोनों के जरिए भौगोलिक आधारित तत्काल अलर्ट मुहैया कराने हेतु मार्च **2021 में 354.83 करोड़ रु.** के परिव्यय के साथ शुरू किया गया।

भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क का सशक्तिकरण

1 जनवरी 2022 से 19 मई 2022 के बीच 92,127 नए रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं। अप्रैल 2022 में, 43,965 रिकॉर्ड सृजित किए गए हैं (सरकारी-37744; पीएसयू-1333 एवं निजी क्षेत्र-4888)

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारतीय विश्वविद्यालय एवं संस्थान नेटवर्क की स्थापना की गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय आपदा बचाव के संयुक्त राष्ट्र के मानकों को पूरा करते हुए **NDRF INSARAG (International Search & Rescue Advisory Group)** से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, जो इस बल को संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों पर खोज और बचाव कार्यों को करने में सक्षम बनाएगा।

मोबाइल एप्लीकेशन

मौसम - आम जनता के लिए दैनिक मौसम की जानकारी, पूर्वानुमान और चक्रवात, भारी वर्षा, गर्मी की लहर, शीत लहर आदि एवं गंभीर मौसम की चेतावनी के लिए

मेघदूत - किसानों द्वारा मौसम आधारित कृषि प्रबंधन के लिए

दामिनी - बिजली चेतावनी के लिए

एक विशेष एप **क्राउडसोर्सिंग मौसम की जानकारी** के लिए

भारत सरकार ने **सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार** शुरू किया है।

पिछले कुछ समय में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत् **Hazard Specific, कोविड-19 जैसी आपदाओं** पर लगभग **32 दिशा-निर्देश** बनाये गये हैं

पिछले ढाई वर्षों में तय गाइडलाइन्स

- शीत लहर और फ्रॉस्ट
- भूकंप से सुरक्षा
- छत को ठंडा करने के लिए हाउस ओनर्स गाइड
- ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ)
- हीट वेव गाइडलाइन्स के साथ-साथ एक्शन प्लान भी
- भूस्खलन जोखिम
- विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण
- आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय
- 2019 में दिव्यांग इन्क्लूसिव आपदा न्यूनीकरण नामक दिशा-निर्देश

आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि

आपदा राहत सहायता के तुलनात्मक आंकड़े: वर्ष 2005 से 2015 तथा 2015 से 2025 के दौरान वित्त आयोग द्वारा आवंटित तथा भारत सरकार द्वारा जारी आपदा राहत सहायता के आंकड़े: (करोड़ रु में)

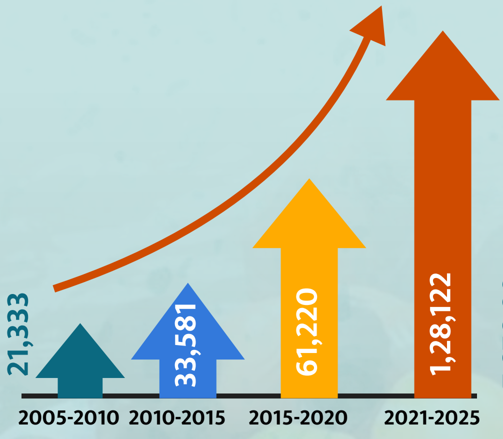

एस.डी.आर.एफ. के तहत जारी की गई राशि (करोड़ रु में)

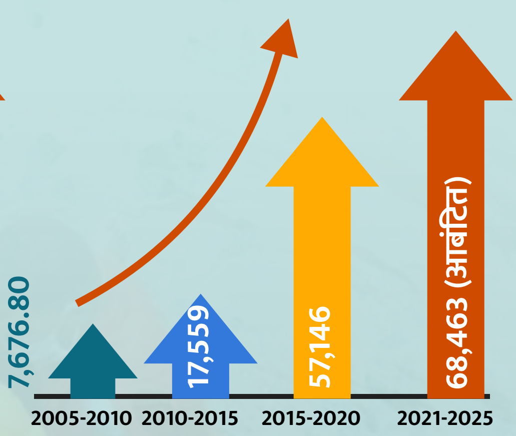

एन.डी.आर.एफ. के तहत जारी की गई राशि (करोड़ रु में)

> "देश में कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार की आपदा आती है और लोगों को पता चलता है कि एनडीआरएफ़, एसडीआरएफ़ के साथ आ गया है, तो उनकी आधी चिंता समाप्त हो जाती है।"
>
> **- श्री अमित शाह** (माननीय गृहमंत्री)

राष्ट्रीय आपदा प्रशमन कोष - सरकार ने फरवरी 2021 में राष्ट्रीय आपदा प्रशमन कोष का गठन किया।

- एनडीएमएफ के तहत 13,693 करोड़ रु. की निधि आवंटित की गई।
- राज्य आपदा प्रशमन कोष के तहत 32,031 करोड़ रु. की निधि आबंटित की गई।

आपदा निधि वैज्ञानिक प्रोसेस की गई है : वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक,

- NDRF के तहत 72 हजार करोड़ तथा
- SDRF 87 हजार करोड़ जारी किये गया

कोविड-19 में गृह मंत्रालय की संवेदनशील कार्यवाही

कोविड 19 की रोकथाम:

- 24 मार्च, 2020 से गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत समय-समय पर आदेश एवं दिशा-निर्देश जारी किए।
- लॉकडाउन तथा आर्थिक गतिविधियों को श्रेणीबद्ध ढंग से पुनः प्रारंभ करने के लिए अनलॉक फेज सम्बन्धी दिशा-निर्देश भी शामिल थे।
- गृह मंत्रालय ने नियंत्रण कक्ष के माध्यम से स्थिति की चौबीसों घंटे निगरानी की तथा लोगों एवं वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आवाजाही से सम्बंधित समस्याओं में फंसे हुए व्यक्तियों एवं बेसहारा लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया।
- DRDO के द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अस्पताल, नई दिल्ली में 500 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करने एवं सञ्चालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका।
- पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और कल्याणी में 250 बिस्तर के दो अस्थायी कोविड अस्पताल को स्थापित करने के सम्बन्ध में।
- 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 16 RT-PCR परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य पुलिस कार्मिकों के फ्रंटलाइन वर्करों के संबंध में टीकाकरण हेतु डाटा का संग्रहण।
- मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गयी।
- देश के भीतर एवं देश के बाहर से ऑक्सीजन कंटेनरों की आवाजाही संबंधी मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

यूनियन टेरिटरी

केंद्र की प्राथमिकताओं में यूनियन टेरिटरी का विकास

केंद्र शासित प्रदेश की हमारी नीति

संघ राज्य क्षेत्रों में फ्लैगशिप योजनाओं का 100% परिपूर्णता

मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस

सभी संघ राज्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस

संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना और लागू करना जो संघ राज्य क्षेत्र अपने लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं

संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली वितरण का निजीकरण:
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव तथा चंडीगढ़ में।

चंडीगढ़ के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के अनुरूप बनाना
चंडीगढ़ के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवा के अनुरूप किया गया।

दिल्ली में प्रशासनिक सुधार :

- **दिल्ली नगर निगम का एकीकरण :** दिल्ली के लोगों के लिए अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन व्यवस्था और नागरिक सेवा को बेहतर ढंग से प्रदान किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (GNCTD) संशोधन अधिनियम, 2021:**
निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से परिभाषित करने और विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के उद्देश्य से, संशोधन अधिनियम लागू किया गया।

> “भारत सरकार का यह प्रयास है कि संघ राज्य क्षेत्रों को सुशासन एवं विकास का मॉडल और आर्थिक समृद्धि का नया पथ-प्रदर्शक (आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था) बनाया जाए।”
>
> - श्री अमित शाह

गृह मंत्रालय द्वारा विकसित/दिल्ली में खाने रहने के प्रतिष्ठानों के लाइसेंस के लिए एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ

एकीकृत पोर्टल पर कुल 17,909 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा 2,487 लाइसेंस/एनओसी/सहमति जारी की गई है।

सिलवासा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गयी तथा 331 पदों के सृजन के लिए भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

कार्य प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2019-20: संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2018-19 में अपने कार्य-प्रदर्शन की तुलना में समग्र शिक्षा के तहत प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2019-20 के अंतर्गत अपने प्रदर्शन में भी काफी सुधार दिखाया है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी, समग्र शिक्षा के तहत Performance Grading Index 2019-20 के अंतर्गत चंडीगढ़ ने ग्रेड 1++ हासिल किया है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों ने भी अपने Grades में सुधार दिखाया है।

कानून और व्यवस्था तथा जांच को दिनांक 1 नवंबर 2021 को अलग करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया

जांच की गुणवत्ता में सुधार लाने और मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया महत्वपूर्ण फैसला ।

फ्लैगशिप योजनाएं

- **सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 100% धन का अंतरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ।**
  - चंडीगढ़, DNH&DD, दिल्ली और पुडुचेरी में आज हर वयस्क का बैंक खाता है ।
  - संघ राज्य क्षेत्रों में शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है ।
  - लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप और चंडीगढ़ में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, 100% LPG कवरेज का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है |

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (A&NI), चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव (DNH&DD), पुदुचेरी, लद्दाख के सभी क्षेत्रों में, घर-घर जाकर कचरा संग्रहण किया जाता है ।

इसी प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, DNH&DD, पुदुचेरी तथा लद्दाख के क्षेत्रों में शत्-प्रतिशत source segregation है ।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को उनके नियमित मासिक NFSA खाद्यान्न के अतिरिक्त और मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया है।

योजना के पांचवें चरण में, चंडीगढ़ में 98% से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया था। छठवें चरण में, 92.5% वितरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, जो अभी भी जारी है।

इसी तरह, चंडीगढ़ में 2.76 लाख लाभार्थियों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) आधारित वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) सुविधा लागू की गई है।

द्वीप क्षेत्र

पर्यटन सुविधा को प्राथमिकता से खुल रहे प्रगति के द्वार

उपलब्धियाँ

इको टूरिज्म परियोजनाओं का विकास

- **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:** लालाजी बे लॉन्ग आइलैंड, एवेस आइलैंड, स्मिथ आइलैंड और शहीद द्वीप में चार इको-टूरिज्म परियोजनाओं के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी।
- **लक्षद्वीप:** लक्षद्वीप में मिनिकॉय, कदमत और सुहेली द्वीपो में तीन इको-टूरिज्म परियोजनाओं के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

डिजिटल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैटेलाइट बैंड विडथ को 2.118 जीबीपीएस से बढ़ाकर 4 जीबीपीएस तक बढ़ाया गया है।
- कोच्चि लक्षद्वीप द्वीपसमूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना (KLI Project) को मई, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

वैकल्पिक हवाई अड्डों का विकास और प्रचालन

अंडमान निकोबार

- डिगलीपुर, अंडमान : 1.67 करोड़ प्रति वर्ष के वित्तीय अनुमोदन प्रदान
- शिबपुर, निकोबार : बुनियादी ढाँचा तैयार
- पोर्ट ब्लेयर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा
- ग्रेट निकोबार द्वीप में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा
- कार निकोबार में सिविल एन्क्लेव

लक्षद्वीप :

- अगत्ती हवाई अड्डे का उन्नयन
- मिनिकॉय में हवाई पट्टी

ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान का समग्र विकास

इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICCT),
एयरपोर्ट,
पावर प्लांट और
टाउनशिप परियोजना

प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्ति

09 प्रमुख फ्लैगशिप/ कल्याणकारी/ विकास योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरी तरह लागू:

- **स्वच्छ भारत मिशन** (ग्रामीण)
- **सिंगल यूज़ प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग** (अधिसूचना जारी की गई)
- **डीबीटी** (इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से फंड ट्रांसफर)
- **स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों** की स्थापना
- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड** (ओएनओआरसी) (कार्यान्वयन शुरू)
- **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** (पीएमजीकेएवाई) [चरण I-V)
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** (एलपीजी कवरेज)
- **सौभाग्य योजना**
- संघ राज्य क्षेत्रों में **ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी** प्रदान करना।

नागरिकता

दशकों से लंबित मुद्दे को निपटाकर धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों के साथ न्याय

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, 10 जनवरी, 2020 को लागू होते ही अधिनियम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित उन प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो धार्मिक आधार पर उत्पीड़न या ऐसे उत्पीड़न के डर के कारण भारत में शरण लेने के लिए विवश थे।

जो 31 दिसंबर, 2014 तक वैध दस्तावेजों के बिना या वैध दस्तावेजों जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी, के साथ भारत में प्रवेश कर चुके हैं।

देशों के पूर्वोक्त 6 समुदायों से संबंधित सभी प्रवासियों के संबंध में, उनके भारत में प्रवेश की तारीख के बावजूद, देशीयकरण के लिए निवास की अवधि 12 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई है।

अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लंबित कोई भी कार्यवाही उन्हें नागरिकता प्रदान करने पर समाप्त हो जाएगी।

अन्य निर्णय

भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए या धारा 6 के तहत नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान करने की केंद्र सरकार की शक्तियाँ अब अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी व्यक्ति के संबंध में, 29 जिलों और 9 राज्यो को सौंप दी गई है।

राजभाषा

सरकारी कामकाज में हिंदी को विशेष महत्व

संकल्प से सिद्धि के 8 वर्ष

राजभाषा हिंदी के सुदृढ़ीकरण के लिए उठाये गए कदम

- पिछले वर्षों के दौरान विशेषकर शीर्ष नेतृत्व हिंदी का प्रयोग सरकारी काम-काज में 2019 से अधिक से अधिक करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है।
- हिंदी के प्रयोग से संबंधित 'आदेशों का संकलन' का लोकार्पण।
- विभिन्न मंत्रालयों विभागों में हिंदी का काम-काज तेजी से बढ़ा है।
- कई मंत्रालयों में माननीय मंत्री अपना अधिकांश कार्य राजभाषा हिंदी में करते हैं।

- गृह मंत्रालय में भी अधिकांश कार्य हिंदी में किया जाता है।
- बनारस में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 13-14 नवंबर, 2021 को सफलतापूर्वक संपन्न।
- मई, 2019 में नई सरकार के गठन के पश्चात 56 मंत्रालयों में से 49 में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है तथा निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। राजभाषा विभाग ने 'लीला राजभाषा' एवं 'लीला प्रवाह' नाम के शिक्षण पैकेज तैयार कराए हैं जिनके माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखी जा सकती है।

- विभाग द्वारा विकसित स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ' का विकास कराया गया और इसके ग्लोबल डाटाबेस में इस समय लगभग 22 लाख वाक्य हैं।
- विभाग के 'ई-महाशब्दकोश' मोबाइल एप में 8 विषयों के लगभग 90 हजार शब्द सम्मिलित किये गये हैं।
- एक बृहत शब्दकोश के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर।
- 'ई-सरल' हिंदी वाक्यकोश में 9 हजार वाक्य शामिल हैं।

- देश भर में विभिन्न शहरों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से अब तक कुल 526 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है।
- विदेशों में लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट लुई में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का भी गठन किया गया है।
- संसदीय राजभाषा समिति अपनी सिफारिशों के दस खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है।
- केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए पहला तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया।

प्रशिक्षण, अनुवाद व निरीक्षण संबंधी उपलब्धियाँ

हिंदी भाषा
52136

हिंदी टंकण
12921
प्रशिक्षित

हिंदी आशुलिपि
509
प्रशिक्षित

अनुवाद प्रशिक्षण
4303
प्रशिक्षित

अनुवाद कार्य (मानक पृष्ठों का अनुवाद)
60997

नराकास की बैठकों की संख्या (ई-बैठकों सहित)
2495

राजभाषा संबंधी ई-निरीक्षणों की संख्या
1573

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किये गए निरीक्षणों की संख्या
953

> राजभाषा हिंदी किसी स्थानीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि उसकी सखी है...और हिंदी के समृद्ध होने से देश की सभी स्थानीय भाषाएं समृद्ध होंगी व स्थानीय भाषाओं की समृद्धि से हिंदी समृद्ध होगी।
>
> **- श्री अमित शाह** (माननीय गृहमंत्री)

वीज़ा प्रक्रिया

तकनीक युक्त सत्यापन, प्रक्रिया हुई सरल, आसान हुआ विदेश जाना

मुख्य नीतिगत निर्णय

विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम: पूर्व-सत्यापित अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को त्वरित आव्रजन मार्ग प्रदान करना।

- विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम को 2023 तक दिल्ली और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पायलट आधार पर शुरू किया जाना है।
- 2027 तक 15 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 2032 तक शेष हवाई अड्डों और प्रमुख बंदरगाहों को कवर करने का उद्देश्य।
- **ई-गेट्स की स्थापना:** आईजीआई विमानपत्तन, नई दिल्ली में पायलट आधार पर 2 ऐरे ई-गेट्स, आगमन और प्रस्थान के लिए एक-एक।

इलेक्ट्रॉनिक वीजा (ई-वीजा) और वीजा-ऑन-अराइवल की शुरुआत

- विदेशी नागरिकों को ई-वीजा के द्वारा सुगम प्रवेश प्रदान करने में मदद।
- वर्तमान में 156 देशों के विदेशी व्यवसाय, चिकित्सा, चिकित्सा परिचारक, पर्यटन और सम्मेलन उद्देश्यों के लिए ई-वीजा ले सकते हैं।
- व्यापार, पर्यटन, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए वीजा-ऑन-अराइवल (वीओए) सुविधा जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों को दी गई है।

भारतीय वीजा व्यवस्था का उदारीकरण

- वीज़ा की मुख्य श्रेणियों की संख्या 26 से घटाकर 21 कर दी गई और वीज़ा की उप-श्रेणियों की संख्या 104 से घटाकर 65 कर दी गई।

वीजा मैनुअल को अद्यतन करना

सु-स्वागतम (भारत यात्रा) मोबाइल ऐप का शुभारंभ

- भारत में वीजा संबंधी सेवाएं और अन्य प्रासंगिक जानकारी की एक ही स्थान पर उपलब्धता।
- सु-स्वागतम (भारत का दौरा) के नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया, जिसे 60 देशों के नागरिकों के लिए लॉन्च किया जा रहा है।

- **आप्रवासन, वीजा और विदेशियों का पंजीकरण तथा ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) परियोजना**
- देश भर में 12 एफआरआरओ और 704 एफआरओ में केंद्रीकृत विदेशी पंजीकरण कार्यालय मॉड्यूल (ई-एफआरआरओ) लागू किया गया है।
- अब तक यह विदेशों में 184 भारतीय मिशनों में लागू हो गया है।
- यह सिस्टम अब 108 आईसीपी में प्रचलन में है।

वीज़ा प्रक्रिया से जुड़े आंकड़े

बहु-प्रवेशों के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए ई-टूरिस्ट वीज़ा शुरू किया गया है।

बेलारूस, बेनिन, इक्टोरियल (गुयाना) और टोगो को ई-वीज़ा प्राप्त करने की सूची में शामिल किया गया।

अब ई-वीज़ा सुविधा प्राप्त देशों की कुल संख्या 171 हो गई।

60 देशों के नागरिकों के लिए सु-स्वागतम मोबाइल एप्प शुरू की गयी।

पर्यटक /ई-पर्यटक वीजा का विस्तार (एक बार में दो महीने मुफ्त के आधार पर), ओवरस्टे पेनल्टी की छूट और एक्जिट परमिट यूक्रेन के नागरिकों को सदभावना के रूप में मुफ्त प्रदान किए गए।

अफ़ग़ान नागरिकों के लिए असामान्य राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र e-Emergency X-Misc वीजा अगस्त, 2021 से शुरू किया गया।

एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 123 नए पीक खोले गए (विदेशी नागरिकों को ट्रैकिंग/पर्वतारोहण के लिए वीज़ा प्राप्त करने हेतु उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में खोले गए)।

व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी व्यक्तियों /कंपनियों /संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों के लिए ई-कॉन्फ्रेंस वीज़ा शुरू किया गया है।

वीज़ा विंग: 01.06.2019 से 28.02.2022 के बीच क्लीयर किए गए मामले

पीआरसी मामले (Prior Referral Category):
73,597 (upto 28.02.2022)

ई-एफआरआरओ मामले
(E- Foreign Regional Registration Offices):
7,079

एफ.सी.आर.ए

बेहतर अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020

यह संशोधन विदेशी चंदे की प्राप्ति और उपयोग की प्रभावी निगरानी में मदद करेंगे

बेहतर अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ-साथ घोषित और वैध उद्देश्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए

सभी प्रमुख पदाधिकारियों के आधार संख्या का प्रावधान।

एसबीआई की मुख्य शाखा, नई दिल्ली में एफसीआरए (FCRA) खाता खोलना अनिवार्य।

विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रशासनिक व्यय सीमा को 50% से घटाकर 20% कर दिया गया है।

पदाधिकारियों की सटीक पहचान सुनिश्चित होगी

बेनामी / फर्जी प्रवेश की संभावना को समाप्त करेंगे और अनुत्पादक मदों जैसे बढ़े हुए कर्मचारियों के वेतन, आलीशान भवनों और कार्यालय, शानदार वाहनों आदि पर खर्च को कम करेंगे।

अन्य सुधार

पंजीकृत एसोसिएशनों को अपने पदाधिकारियों/मुख्य पदाधिकारियों को बदलने पर संबंधित ब्यौरों के डाटा को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अद्यतन करना जरुरी।

गैर सरकारी संगठनों को विदेशी अभिदाय पंजीकरण के स्वैच्छिक समर्पण की सुविधा दी गयी।

प्रत्येक FCRA पंजीकृत NGO/एसोसिएशन के लिए निर्धारित समय के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक रिटर्न जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

FCRA पंजीकरण, नवीकरण और पूर्वानुमति के आवेदनों के निपटान का पूरा ब्योरा (1 जून 2019 से 30 अप्रैल 2022)

क्र.सं.	सेवा	प्रदान की गई	अस्वीकृत	बंद
1	पंजीकरण	570	2821	56
2	नवीनीकरण	3766	738	198
3	पूर्वानुमति	80	291	11
4	आतिथेय	4384	241	601
	कुल	**13,757**		

मामलों की प्रकृति	कुल सं.
निलम्बित या रद्द किए गए गैर-सरकारी संगठन	निलम्बित - 52 | रद्द - 1816
आदेशित अभियोजन/अन्वेषण	01
अपराध के लिए प्रशमन (Compounding of FCRA offence)	201
पंजीकृत संघों का निरीक्षण / लेखापरीक्षा [Inspection / audit of FCRA registered association]	335
अभियोजन की मंजूरी	04

वृक्षारोपण अभियान

पर्यावरण संरक्षण का अचूक अभियान

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अनुसार हम भारतवासियों का सम्बन्ध एक ऐसी संस्कृति से है जिसमें प्रकृति से समरसता हमारी सोच के केंद्र में है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण संवर्धन में आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की सोच को आगे बढ़ाते हुए जनवरी 2020 में माननीय गृहमंत्री ने केन्द्रीय सशस्त्र बलों के सहयोग से वृक्षारोपण का प्रकल्प बनाया। इस प्रकल्प में प्रति वर्ष एक करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया।

लक्ष्य से ज्यादा वृक्षारोपण

2020
1,47,38,040 पौधे

+

2021
1,07,21,245 पौधे

=

कुल - 2,54,59,285 पौधें

अभियान की विशेषताएं

- लगाए जाने वाले पौधे देशी किस्मों के हैं जो साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करें जैसे नीम, इमली, पीपल, शीशम, बरगद आदि।
- पौधों की आयु 10 वर्ष से 100 वर्ष होनी चाहिए।
- इस वृक्षारोपण अभियान में माननीय गृहमंत्री जी ने स्वयं देश के विभिन्न हिस्सों में जा कर भाग लिया और सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा रोपित वृक्षों के स्वस्थ विकास की जिम्मेदारी संबधित कमांडिंग ऑफिसर को सौपी गई है, जिसकी नियमित जानकारी वे स्वयं लेते हैं।

> "ये संवेदना है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। पेड़-पौधों की पूजा करना, मौसम, ऋतुओं को व्रत और त्योहार के रूप में मनाना, लोरियों-लोकगाथाओं में प्रकृति से रिश्ते की बात करना, हमने प्रकृति को हमेशा सजीव माना है, सहजीव माना है।"
>
> **- श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)

माननीय गृह मंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण अभियान

दिनांक	स्थान	वृक्ष प्रजाति
1 मार्च, 2020	कोलकाता	आम
12 जुलाई, 2020	गुरुग्राम	पीपल
25 जुलाई 2021	सोहरा, चेरापूंजी	पिपली
17 सितम्बर 2021	मुद्खेद, नांदेड	पीपल
26 अक्तूबर 2021	लेथपोर, जम्मू कश्मीर	रुद्राक्ष

- इस अभियान में **कार्बन सिक्वेसट्रेशन** का विशेष ध्यान रखा गया।
- **सोहरा चेरापूंजी वृक्षारोपण:** वर्ष 2021 के दौरान असम राइफल्स द्वारा चेरापूंजी क्षेत्र को गोद लेकर सोहरा पठार को दोबारा हरा-भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण की शुरुआत की गई है। तीन वर्षों में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 1 मिलियन पौधे लगाने का अभियान है।

आगे की कार्ययोजना

माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर केंद्रीय बलों के महानिदेशकों से अनुरोध किया गया है कि 02 वर्षों के अभियान के दौरान रोपित पौधों के विकास की समीक्षा नियमित रूप से करें।

वृक्षारोपण अभियान में शामिल पौधरोपण टीमें **(Green Warriors)** लगातार इन पौधों की देखभाल कर रही हैं। यदि कोई रोपित पौधा किसी कारणवश क्षतिग्रस्त या सूख जाता है तो उसके स्थान पर नया पौधा लगाया जाता है।

जब तक ये पौधे पूर्णतया विकसित पेड़ का आकार नहीं ले लेते और आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक इन पौधों के रख-रखाव और देखभाल के लिए टीमवार जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

> हमें प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करना चाहिए शोषण नहीं। अंधाधुंध विकास के कारण ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने आज दो ऐसे खतरें बन गए हैं जिसके बाद किसी भी देश को अन्य दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। पर्यावरण को बचाने के लिए आज वृक्षारोपण ही एक मात्र रास्ता है।
>
> **- श्री अमित शाह** (माननीय गृहमंत्री)

पुलिस प्रशिक्षण एवं सम्मान

शिक्षण, शोध, संबल, सहयोग और सुरक्षा से पुलिस प्रणाली में बेहतरी के प्रयास

चुनौती:

- **हमारे जवानों को आयुष्मान बनाने की मोदी सरकार की प्राथमिकता में तीन प्रमुख चुनौतियों चिन्हित हुई हैं।**

1. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूर्ण योजना का न होना।
2. हाउसिंग संतुष्टि दर अत्यंत कम होना।
3. ड्यूटी का सीमा से ज्यादा होना।

सामाधान के सफल प्रयास:

राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना

- पुलिस, आपराधिक न्याय और सुधार प्रशासन के विभिन्न अंगों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित सेवा कर्मियों के शिक्षण, अनुसंधान व संबद्धता हेतु राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आर.आर.यू.) की स्थापना हुई है।
- यह विश्वविद्यालय पुलिस, आपराधिक न्याय और सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल विकास को बढ़ावा देगा।
- उद्योग जगत से जानकारी व संसाधनों का लाभ लेते हुए निजी क्षेत्र के साथ तालमेल विकसित करेगा।
- पुलिस और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करेगा।

पुलिस बल के कल्याण के कदम

आयुष्मान सीएपीएफ योजना

- यह योजना जनवरी, 2021 में असम में प्रायोगिक आधार पर शुरू।
- पुलिस बल के कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को लगभग 35 लाख स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जा रहे हैं।
- देश भर में 1,576 CGHS पैनलबद्ध अस्पतालों और 27,675 एबी-पीएमजेएवाई पैनलबद्ध लगभग रु. 20 करोड़ का इलाज किया जा चुका है।

भर्तियां: नई भर्तियों से बढ़ा बल

- सामान्य ड्यूटी संवर्ग में सी.ए.पी.एफ. और असम राइफल्स में 64,640 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है।
- पांच साल (2022-2026) के लिए वार्षिक आधार पर इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए एस.एस.सी. और एम.एच.ए. के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

पी.ई.टी. के लिए उपस्थित होने वाली महिला उम्मीदवारों के हितों की रक्षा

- पी.ई.टी. के समय गर्भवती होने पर महिला उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है।
- उनकी नियुक्ति अब अब प्रेगनेंसी के पूरा होने और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी.ई.टी.) के लिए पुन: परीक्षा तक स्थगित कर दी गई है।
- पीईटी में यदि फिट पाए जाते हैं, तो उन्हें वरिष्ठता के लाभ के साथ उसी पद पर नियुक्त किया जाता है।

सी.ए.पी.एफ. के हित में कल्याणकारी उपाय

- अगस्त-2019 में, सी.ए.पी.एफ. के कर्मियों के सभी रैंकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 57 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है।
- शिकायत निवारण के लिए WARB द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है।
- 2021-22 तक आवास संतुष्टि को सुनिश्चित करने के लिए 46% से 55% तक बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर आवासों का निर्माण हुआ है।
- पिछले 3 वर्षों में 7 हजार करोड़ रुपये की लागत से 13 हजार घरों और 113 बैरकों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है।
- इसके अलावा अगले 5 वर्षों में कुल 29,606 घरों का निर्माण किया जाना है।
- सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, सी.ए.पी.एफ. और असम राइफल्स के कर्मियों के लिए लिए कर्मियों के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ता बढ़ा दिया गया है।
- 8 नवंबर 2019 से कश्मीर घाटी में तैनात सी.ए.पी.एफ. कर्मियों के लिए 16% की दर से अतिरिक्त एचआरए मूल वेतन के 16% की दर से प्रदान किया गया है।
- हर जवान को अपने परिवार के साथ हर साल कम से कम 100 दिन बिताने को मिलें।

एन.सी.सी. कैडेटों को रोजगार में प्रोत्साहन

- एसआई (जीडी) और कांस्टेबल (जीडी) की भर्ती में एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को बोनस अंक का प्रावधान:
- सी सर्टिफिकेट धारक के लिए 5%
- बी सर्टिफिकेट धारक के लिए 3%
- ए प्रमाणपत्र धारक के लिए 2%

सी.ए.पी.एफ. पुनर्वास'-सेवानिवृत्त सी.ए.पी.एफ. और असम राइफल्स कर्मियों के पुन: रोजगार की सुविधा

- 'सी.ए.पी.एफ. पुनर्वास' ई-प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।
- सेवानिवृत्त कार्मिक विशेषज्ञता के क्षेत्र और पसंदीदा स्थान के साथ अपने व्यक्तिगत विवरण वार्ब वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रावधान।

अनुग्रह राशि साझा करना – वर्ष 2021 में सरकारी सेवक द्वारा दिए गए नामांकन के आधार पर आश्रितों और माता-पिता सहित सभी पात्र आश्रितों के बीच एकमुश्त मुआवजे के बंटवारे का प्रावधान पेश किया गया।

के.पी.के.बी. तथा सी.एस.डी. की तर्ज पर केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार

- 119 मास्टर कल्याण भंडार और 1946 सहायक कल्याण भंडार वर्तमान में कार्य कर रहे हैं।
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कारोबार 1715 करोड़ रुपये था।
- KVIC : वर्तमान में के.वी.आई.सी. के 32 उत्पाद के.पी.के.बी. के माध्यम से बेचे जा रहे हैं। अब तक के.वी.आई.सी. उत्पादों की कुल रु 41,66,673/- बिक्री हुई।

अनुग्रह राशि में वृद्धि

- एक्शन में मौत/हाई ऐल्टी टयूड- रु.15 लाख से रु.35 लाख
- ड्यूटी पर मौत- रु.10 लाख से रु.25 लाख
- विकलांगता- रु. 9 लाख से 20 लाख तक

केंद्रीय शसस्त्र पुलिस बल

बुनियादी ढाँचे के विस्तार से मजबूत हुई क्षमता

महिलाओं को महत्व

- 124 महिला बैरक तैयार की गई है तथा 109 महिला बैरकों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- इसके अलावा 443 महिला बैरक और बनाने पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है।

सीमा सुरक्षा बल

- सीमा सुरक्षा बल की 135 सीमा चौकियाँ जिनमें 03 एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध है उन्हें समग्र सीमा चौकी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है।
- जो आवास या संरचनाएँ 20 वर्ष से पुरानी हो गई हैं उनका नवीनीकरण किया जा रहा है।
- सभी सीमा चौकियों में खास`कर राजस्थान एवं गुजरात में पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
- पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया गया है, ताकि ज्यादातर सीमा चौकियों पर पीने का पानी उपलब्ध हो सके।
- जलशक्ति योजना के तहत भी सीमा चौकियों पर पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर विचार हो रहा है।
- सीमा चौकियों पर बिजली की व्यवस्था एवं सौर ऊर्जा प्रणाली की भी व्यवस्था कराई जा रही है।
- 2807.55 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 984.57 करोड़ रुपये और सी.ए.पी.एफ., असम राइफल्स और एन.एस.जी. के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 4847.53 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- आई.टी.बी.पी. की 56 बटालियनों में 45 कमरों वाले एसओ के मेस के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- आई.टी.बी.पी. के विभिन्न स्थानों पर 3391 घरों के निर्माण के लिए स्वीकृत दी गई और जुलाई, 2020 में ए.ए एंड ईएस भी जारी किया गया है।

कोविड -19 महामारी में सेवा भाव के अग्रदूत

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने पूरे देश में लॉकडाउन के नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जनसेवा की मिसाल प्रस्तुत की।
- सी.ए.पी.एफ. ने आम जनता के बीच मास्क, सैनिटाइज़र, भोजन के पैकेट आदि वितरित किए।
- विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल, छतरपुर-10,000 बेड क्षमता को संचालित किया जिसमें 500 आईसीयू बेड शामिल थे।
- बल कार्मिकों के रोटेशनल स्थानान्तरण में सॉफ्टवेयर का उपयोग।
- ई-अपार/स्पैरो का परिचय: एपीएआर की देरी और निर्बाध फाइलिंग को कम करने के लिए।

केंद्रीकृत शराब प्रबंधन प्रणाली (सी.एल.एम.एस.): एक केंद्रीकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली (सी.एल.एम.एस.) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जो कि बलों में मदिरा प्रबंधन में पारदर्शिता बनाए रखता है।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत मौजूदा **42 कोर्सों के अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र 2020-21 से 80 नये प्रोफेशनल/टेक्निकल डिग्री कोर्सों को शामिल** किया गया है।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS): प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत सेवारत एवं पूर्व- कर्मियों की लड़कियों के लिए 3000/- रुपये प्रति माह और लड़कों के लिए 2500/- रुपये प्रति माह जारी किया जाता है।

'भारत के वीर' से निधि: 'भारत के वीर' एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आम जनता को स्वेच्छा से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया है, को दान करने के लिए सुविधा देता है।

अब तक **582 शहीदों/कोरोना योद्धाओं को 74.02 करोड़ रु.** दिये जा चुके है एवं अब तक **कुल 393 करोड़ का अंशदान** प्राप्त किया गया है।

हवाई कूरियर सेवाएं: सुदूरवर्ती क्षेत्रों से छुट्टी/ अस्थायी ड्यूटी आदि के दौरान कर्मियों को यात्रा के लिए 7 विभिन्न मार्गों पर हवाई कूरियर सेवाओं को दैनिक/साप्ताहिक आधार पर प्रदान किया गया है।

केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (KPKB): वर्तमान में 119 मास्टर भंडार और 1922 सहायक भंडार कार्यरत हैं। 1 जून 2020 से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस भंडार में केवल स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री का निर्देश है।

बल द्वारा वृक्षारोपण: वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत, वर्ष 2020 में डेढ़ करोड़ तथा वर्ष 2021 में अब तक एक करोड़ अर्थात कुल 2.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं।

प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना (पी.एम.एस.एस.)

- यह छात्रवृत्ति शहीदों के बच्चों और विधवाओं तथा सी.ए.पी.एफ. और असम राइफल्स के कर्मियों के लिए है जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं।
- 2019 से, PMSS को राज्य के पुलिस अधिकारियों के बच्चों के लिए भी विस्तारित किया गया है जो आतंकी/नक्सल हमलों के दौरान शहीद हुए हैं।
- पी.एम.एस.एस. के लिए कुल 122 तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम पात्र हैं।

> जब पुलिस रेस्पॉन्सिव हो तो जनता की चिंता होती है, संवेदनशील हो तो जनता का बचाव होता है और परिणामलक्षी हो तो प्रिवेंशन भी बहुत अच्छे से होता है।
>
> **- श्री अमित शाह** (माननीय गृहमंत्री)

दिल्ली पुलिस

राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के अग्रदूत

संकल्प से सिद्धि के 8 वर्ष

दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस के कार्यबल में वृद्धि

कार्मिक क्षमता में निरंतर वृद्धि

संकेतक	2014	2022
दिल्ली पुलिस की कुल स्वीकृत कार्मिक क्षमता	84,536	94,358
दिल्ली पुलिस की कुल वर्तमान कार्मिक क्षमता	77,479	78,630
दिल्ली पुलिस में महिलाओं की कुल संख्या	5,713	10,215
वर्तमान कार्मिक क्षमता में महिलाओं का प्रतिशत	7.4%	13%

दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगाए गए सी.सी.टी.वी. कैमरे की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई।

संकेतक	2006	2014	2022
दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे	321	1,696	10,311

दिल्ली पुलिस के वाहन बेड़े में वर्ष 2006 से 2022 तक तेजी से वृद्धि देखी गई।

संकेतक	2006	2014	2022
वाहन	3,763	6,636	9,095

सैनिक कल्याण के कदम

वर्ष 2014-2022 के दौरान दिल्ली पुलिस के लिए 9,812 पदों (निरीक्षक से कांस्टेबल तक) का सृजन किया गया।

- कानून और व्यवस्था के कार्यों से अपराध जांच को अलग करने के लिए 4,227 पद।
- पुलिस जिलों/ पुलिस उप-प्रभागों / पुलिस थानों के लिए 3,139 पद।
- पुलिस थानों और पुलिस चौकियों सहित दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए 2,388 पदों का सृजन किया गया।

विशेष रिफार्म

दिल्ली पुलिस कार्य योजना-2024 के संबंध में बारह समितियों का गठन किया गया, इन समितियों ने एक रोड मैप भी प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, आगे की परिप्रेक्ष्य योजना-2030 सह दशकीय योजना तैयार की गई।

सभी जिलों में कानून और व्यवस्था को जाँच से अलग किया गया।

पीसीआर यूनिट का जिलों में विलय कर दिया गया।

कानून और व्यवस्था को जाँच से अलग करने का एक प्रभाव आकलन का अध्ययन स्वतंत्र टीमों द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण को ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन के तहत एक विशेष वर्टिकल के रूप में लाया गया है ।

पुलिस में परसेप्सन मैनेजमेंट विभाग बनाया ।

अलग से एक वेलफेयर विभाग बनाया गया है।

दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 'ईट राइट' योजना : पुलिस कैन्टीनों में संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है।

अन्य रिफार्म

अपराध और नागरिक सेवाओं की रिपोर्टिंग में आसानी

मैनुअल कार्रवाई के बिना मोटर वाहन और अन्य चोरी के मामलों के लिए e-FIR का ऑनलाइन पंजीकरण,

साइबर अपराध की शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण

साइबर अपराध रिपोर्टिंग सुविधा संख्या 1930

आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (ERSS) 112

24x7 सार्वजनिक सुविधा डेस्क और

सभी पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क

दिल्ली पुलिस द्वारा अपने 44 पुलिस स्टेशनों (7 ज़िलों में) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 44 संवेदनशील स्थानों पर 6630 CCTV कैमरे लगाना और चालू करना

दिल्ली पुलिस का सशक्तिकरण

दिल्ली पुलिस को लघु शस्त्र निर्माण के लिए 99.74 करोड़ रुपये की कुल लागत से 5000 संयुक्त उद्यम सुरक्षात्मक कार्बाइन की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

दिल्ली पुलिस को 'हिंसा मुक्त घर-महिला का अधिकार' परियोजना के लिए 11.38 लाख रुपये के व्यय से सामाजिक कार्यकर्ताओं की निरंतर नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

2022 में गृह मंत्रालय ने एमटीएनएल के माध्यम से 19.91 करोड़ रूपये की कुल लागत से 104 मौजूदा साइबर हाईवे स्थानों के समुन्नयन (एलिवेशन) का अनुमोदन किया।

0.43 करोड़ रुपये की लागत से इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (I I I T) के माध्यम से कार्यान्वित 'डेटाबेस से लोगों की मल्टी-मोडल रिट्रीवल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग' परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया।

1.18 करोड़ रुपये की कुल लागत से 11 महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहनों की खरीद को नवम्बर 2021 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

दिनांक 31.05.2019 से 15.04.2022 की अवधि के दौरान, 3494 कार्यक्रमों में, दिल्ली पुलिस ने 5,96,108 महिलाओं/बालिकाओं को आत्म-रक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया है।

दिल्ली पुलिस द्वारा 90 लाख रुपये की कुल लागत से 04 टाटा (41 सीटर) सीएनजी बसों की खरीद के लिए अनुमोदन।

दिल्ली पुलिस द्वारा 42.20 करोड़ रुपये की नियत लागत से सीसीटीएनएस आंकड़ा केंद्र और आपदा रिकवरी केंद्र की स्थापना।

दिल्ली पुलिस को 10,997 वाहनों (6553 मौजूदा + 4444 अतिरिक्त वाहनों) की खरीद के प्राधिकार और दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2019-20 में 1874 नई मोटरसाइकिलों की खरीदी हुई।

फरवरी, 2020 में, इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS) के अंतर्गत, रेड लाइट स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम (RLVD) को 24 चौराहों पर लगाया गया और दिल्ली में विभिन्न सड़क मार्गों पर 100 ओवर-स्पीड वायलेशन डिटेक्शन (OSVD) कैमरे लगाए गए।

दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग ने शस्त्र लाइसेंस पुस्तिका को ‘Smart Card’ के रूप में बदल दिया है।

दिल्ली पुलिस कर्मी कल्याण

40 वर्ष से अधिक आयु के दिल्ली पुलिस कर्मियों के कार्यरत कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच हेतु दिनांक 23.09.2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

दिल्ली पुलिस कार्मिकों के लिए आवास उपलब्धता स्तर में सुधार करने के लिए, दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से 467.42 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय भार से नरेला में तैयार 501 MIG फ्लैटों की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

महिला सुरक्षा हेतु प्रमुख नीतिगत निर्णय

112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)

- ईआरएसएस ने देश में वन-नेशन, वन-इमरजेंसी नंबर सुविधा को सक्षम किया है।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 112 को चालू कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय औसत प्रतिक्रिया समय 20 मिनट है (मार्च 2022 तक)।
- अब तक 17.07 करोड़ से अधिक कॉल्स को हैंडल किया जा चुका है।
- लगभग 10 लाख उपयोगकर्ताओं ने 112 इंडिया ऐप डाउनलोड किया है।
- कुल पंजीकृत 112 इंडिया ऐप उपयोगकर्ताओं में से 45% से अधिक महिलाएं हैं।

सेफ सिटी परियोजनाएं

- पहले चरण में सुरक्षित शहर परियोजना के अंतर्गत 8 शहरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ) को मंजूरी दी गई थी।
- पुलिस को सतर्क करने के लिए ड्रोन का उपयोग, सीसीटीवी कैमरे की स्थापना शामिल है।
- अंधेरी गलियों व क्राइम हॉट स्पॉटस पर स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना
- महिलाओं के लिए शौचालय जिन्हें गूगल मैप्स पर अंकित किया जा सकेगा।
- संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल ₹1,349.58 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं।

नई केंद्रीय नागरिक सेवाएं

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा digitalpolicecitizenservice.gov.in पोर्टल पर तीन नई केंद्रीय नागरिक सेवाएं शुरू की गई हैं।
- अब तक 2.45 लाख लॉगिन दर्ज किए गए हैं। इन सेवाओं में महिला सुरक्षा से संबधित :

◆ गुमशुदा व्यक्ति खोज सेवा, नागरिकों को बरामद अज्ञात व्यक्ति/अज्ञात शवों के राष्ट्रीय डेटाबेस से उनके लापता परिजनों की ऑनलाइन खोज करने की अनुमति देती है। 16,419 गुमशुदा लोगों की खोजें की जा चुकी हैं।

◆ घोषित अपराधियों की जानकारी: 20,108 सजग नागरिकों ने अपराधियों की जानकारी का इस्तेमाल किया है।

अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस)

- सीसीटीएनएस अब देश के सभी पुलिस स्टेशनों (16,453 पुलिस स्टेशनों) में तैनात
- कानून प्रवर्तन अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच की सुविधा
- सीसीटीएनएस में 7.55 करोड़ एफ.आई.आर और 5.51 करोड़ चार्जशीट/अंतिम रिपोर्ट सहित लगभग 28.73 करोड़ अपराध रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने CCTNS पर अपने नागरिक सेवा पोर्टल शुरू कर दिए हैं
- अब तक 9.81 करोड़ अनुरोधों को पूरा किया जा चुका है।
- महिला सहायक एवं सुलभ पुलिस स्टेशन : 10,425 WHD पहले से ही चालू हैं
- जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना: देश में 696 एएचटीयू काम कर रहे हैं
- NIA द्वारा मानव तस्करी मामलों की जांच
- साइंस प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना
- यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट का वितरण : 14,950 यौन उत्पीड़न के साक्ष्य किट वितरित
- साक्ष्य संग्रह संबंधी प्रशिक्षण : 23,700 ओफिशियल्स का प्रशिक्षण
- ITSSO प्रणाली तथा
- यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO) : 12 लाख से अधिक यौन अपराधियों का डेटा
- अत्याधुनिक DNA विश्लेषण केंद्र
- राष्ट्रीय स्वचालित फ़िंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS)
- स्थगन चेतावनी मॉड्यूल
- मोडस ऑपरेंडी मॉड्यूल

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018

- 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा सहित और भी कड़े दंड प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए अधिनियमित
- बलात्कार के मामलों में 2 महीने में जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने और 2 महीने में ट्रायल को पूरा करने का आदेश

> जो समय के साथ खुद को नहीं बदलते समय और चुनौतियां उनसे आगे निकल जाती हैं। हमें गर्व है कि दिल्ली पुलिस ने समय के साथ-साथ भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को बदला भी है और तैयार भी किया है।
>
> **- श्री अमित शाह** (माननीय गृहमंत्री)

गृह मंत्रालय

प्रशासनिक सुधारों से सुगमता की ओर

E-office का प्रभावी कार्यान्वयन

- फाइलों का इलेक्ट्रोनिक मूवमेंट real time basis पर हो रहा है
- सभी संचिकाओं को ई-फाईल में परिवर्तन किये जाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई।
- प्रत्येक संयुक्त सचिव द्वारा e-office में अपने लंबित फाइलों की विवरणी प्रतिदिन (एक निश्चित समय 11:00 बजे पर रिव्यु)।

नियमित रिव्यु बैठकें

- प्रत्येक प्रभाग की साप्ताहिक आन्तरिक बैठक।
- विज़न डॉक्यूमेंट का नियमित रिव्यु
- गृह मंत्रालय एवं संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में डी.पी.सी. के बैठकों का ससमय आयोजन सुनिश्चित करना
- आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों/उद्देश्यों की प्राप्ति।

संसदीय कामकाज

- 3 वर्षों में 20 विधेयक / संकल्प पारित किये गए, जिस पर लोकसभा में 65 घंटे 52 मिनट्स तथा राज्यसभा में 55 घंटे 57 मिनट्स की लम्बी चर्चा हुई, कुल मिलाकर दोनों सदनों में 121 घंटे 9 मिनिट्स की चर्चा
- लैंडमार्क विधेयक : धारा 370 निरस्त, आर्म्स एक्ट में संशोधन, दिल्ली नगर निगमों का विलय एवं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना
- संसद प्रश्नों/आश्वासनों का समयबद्ध तरीकों से निष्पादन।
- यदि संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के नियम/विनियमों का सृजन लंबित है तो उस पर समयबद्ध कार्रवाई।

जवाबदेही

- आर.टी.आई निस्तारण।
- कोर्ट केस का एफिडेविट बनने से लेकर, उस पर निर्णय आने तक अनुश्रवण करने एवं उनके निष्पादन की प्रक्रिया।

डॉक्यूमेंटेशन

- माननीय गृह मंत्री जी द्वारा सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का वर्गीकरण एवं डाक्यूमेन्टैशन ।
- विभाग के नीतिगत निर्णयों एवं उपलब्धियों का वर्गीकरण एवं डाक्यूमेन्टैशन का माहवार अपडेशन ।

गृह मंत्रालय : सुधारों से सुगमता

- मंत्रालय-स्तर पर विस्तृत संवाद प्रक्रिया
- प्रत्येक प्रभाग में कार्य राजभाषा में किया जा रहा है।
- ऐसे मुद्दों की वैज्ञानिक पहचान : जो वर्तमान में गृह मंत्रालय के अधीन हैं परंतु जिन्हें अन्य मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए, उन मुद्दों को संबंधित मंत्रालयों को हस्तांतरित करना।
- नागरिकों और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुपालन (compliance) के बोझ को कम करने हेतु गठित समिति द्वारा सामयिक रिपोर्ट प्रेषित करना ।
- गृह मंत्रालय के अधीनस्थ प्रभागों से सम्बद्ध समस्त संगठनों/ट्रस्ट/कम्पनियों की संख्या कम करना।
- गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले बलों एवं कार्यालयों की सभी वर्गो की अगले 5 वर्षो में होने वाली रिक्तियों की पूर्ति।
- लोगों की समस्याओं का यथा-समय निष्पादन एवं जनता के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने और जनता से प्राप्त होने वाली कॉल को प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा अटेंड किए जाने के लिए मंत्रालय में व्यवस्था करना ।
- सभी आवासीय एवं कार्यालय भवनों के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था का निर्णय किया गया है ।

संचिकाओं का शीघ्र एवं समयबद्ध निष्पादन

- 06 माह से लंबित संचिकाओं का यथाशीघ्र निष्पादन।
- सभी संचिकाओं/पंजिकाओं एवं अन्य समस्त अभिलेखों इत्यादि का रिकॉर्ड रिटेंशन/वीड-आउट।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री अमित शाह
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

संकल्प से सिद्धि के 8 वर्ष

श्री नित्यानंद राय
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री

श्री अजय कुमार मिश्रा
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री

श्री निसिथ प्रामाणिक
केन्द्रीय राज्य मंत्री (गृह मंत्रालय एवं यूथ और स्पोर्ट्स मंत्रालय)

सत्यमेव जयते
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS